जिलाधिकारी

No. 109 E.R.R.

No. 29117 एस०एल० /

27-3-2017

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,उ0प्र0, इलाहाबाद।

सा-52

OC LB/LBC

लेखे का नाम– नगर पालिका परिषद, बिलग्राम जिला हरदोई।

(9)

अवधिः– वर्ष 2015–16

कृते जिलाधिकारी

सम्परीक्षा तिथिः– सम्परीक्षा दिनॉक 02–9–16 को प्रारम्भ एवं दिनॉक 10–1–17 को समाप्त हुई।

सम्परीक्षा का स्वरूपः– उप लेखा परीक्षा।

प्रस्तावनाः– यह सम्परीक्षा आख्या भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के पूर्ण तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण तथा उनके द्वारा निर्धारित सम्परीक्षा मापदण्डो तथा लेखा परीक्षा प्रमाणन के दिशा निर्देशो का पालन करते हुए राज्य अधिनियम व उप विधियों के अन्तर्गत तैयार की गयी है।

प्रशासनः– आलोच्य अवधि में निम्नाकित पदाधिकारी संयुक्त रूप से आहरण वितरण अधिकारी है।

क0	नाम अधिकारी	पदनाम	अवधि
1	श्रीमती मालती रमन गुप्ता	अध्यक्ष	1–4–15 से 31–3–16 तक
2	श्रीमती मीनू सिंह	अधिशासी अधिकारी	1–4–15 से 31–3–16 तक
3	श्री अजय कश्यप	अवर अभियन्ता (संम्बद्ध)	1–4–15 से 31–3–16 तक

संख्या 1311 / L.B.C-21/17 दि० 13-2-17

E.O. बिलग्राम

कृ० आ० का० करें

OC (L.B.)

13-2-17

सम्परीक्षा आख्या

भाग–क

[एक] (1) **सम्परीक्षा में पायी गयी उल्लेखनीय आपत्तियों का विवरण/50 प्रतिशत से अधिक विचलन की दशा में भी पुनरीक्षित आगणन बनाये बिना ही रू0 58,78,688=00 का अनानुमोदित भुगतानः–** नगरीय सडक सुधार योजनान्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो से सम्बन्धित पत्रावलियॉ की जॉच से प्रकाश में आया कि पालिका द्वारा तैयार आगणनों/कार्य योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी थी।

नियमानुसार स्वीकृत आगणन से आइटम वाइस (+) 10 प्रतिशत से अधिक विचलन होने की दशा में पुनरीक्षित आगणन बनाकर सक्षम स्तर से इसकी स्वीकृति प्रज्ञप्त की जानी चाहिए। परन्तु जॉच के समय प्रकाश में आया कि निम्नलिखित निर्माण कायो। के निम्न आइटम में 50 प्रतिशत से भी अध्किक विचलन हुआ था फिर भी अवर अभियन्ता द्वारा इसका पुनरीक्षित आगणन तैयार कर सक्षम स्तर से इसकी स्वीकृति प्राप्त नही की गयी थी तथा ठेकेदारो का निम्न विवरणानुसार रू0 58,78,688=00 का अनियमित/अनानुमोदित/अधिक भुगतान कर दिया गया । यह गम्भीर वित्तीय अनियमितता का प्रकरण है। इसका औत्यिय स्पश्ट करते हुए आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(क) कार्य का नामः– सदर बाजार पीपल चौराहा से पावर हाउस प्रजापति मार्केट तक रबड मोल्ड सी0सी0 ब्लाक से फुटपाथ का निर्माण ।

ठेकेदार – श्री दिलीप कुमार गुप्ता

क्र0	आइटम का नाम	बिल से भुगतान की गयी मात्रा	स्वीकृत आगणन में मात्रा	मात्रा में अन्तर	दर	अनानुमोदित/अधिक भुगतान	वि
1.	Providing, Laying, Spreading and Compacting stone ballast 45-63 mm	93.95 Cum.	70.88 Cum.	23.07 Cum.	3538=	81622=	32
2.	Same and above but 22.4-53 mm. guage.	93.95 Cum.	70.88 Cum.	23.07 Cum	3599=95	83,051=	32.5
3.	Supply and laying 80mm. thick cc pore cast reflecting zig-zag interlaking brick.	1252=73 Sqm.	945 Sqm.	307=72 Sqm.	911	2,80,333=	32.56%
						445006	

(ख) कार्य का नाम – बिलग्राम सदर बाजार से पीपल चौराहा तक गुलाब बाडी चुंगी तक रबड मोल्डेड सी० सी० ब्लाक से फुटपाथ निर्माण।

ठेकेदार – श्री सरोज कुमार तिवारी

…oviding, laying, …reading and compacting 45-63 guage.	283=72	204=75	78=97	3538=	2,79,396=	38.57%
Same as above but 22.5-53 guage.	283=72	204=75	78=97	3599=95	2,84,288=	38.57%
S/c 80mm. thick interlocking brick.	3782=995	2730m2	1052=995	911=	9,59,278=	38=57%
					15,22,962=	

(ग) कार्य का नाम – मुख्य मार्ग चौराहा से सरकारी हास्पिटल तक सड़क के दोनों ओर रबड मोल्डेड सी॰सी॰ ब्लाक फुटपाथ निर्माण।

ठेकेदार का नाम – श्री मती मालती सिंह।

Same as- अतिरिक्त कार्य का आइटम सं०-1	391.19	261=	130=19	3538=	4,60,612=	49.88%
आइटम सं०-2	391.19	261=	130=19	3599=95	4,68,677=	49.88%
आइटम सं०-3	5215.98	3480=	1735=98	911=	19,81,477=	49.88%
					29 10 766=	

5

(घ) कार्य का नाम – कन्नौज बाईपास से रफैय्यतगंज में विवेक के तक रबड मोल्डेड ब्लाक से फुटपाथ का निर्माण।

ठेकेदार का नाम – श्री दिलीप कुमार गुप्ता

1-	Same as above item No-1	286=79	214=20	72=59	3538=	2,56,823=	33.88%
2-	Same as above आइटम सं- 2	286=79	214=20	72=59	3599=95	2,61,320=	33.88%
3-	Same as above आइटम सं- 3	3823=96	2856=	967=96	911=	8,81,811=	33.88%

13,99,954=

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्यों में आइटम वाइज 50% से भी अधिक विचलन किया गया था परन्तु फिर भी पुनरीक्षित आगणन तैयार कर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी तथा ठेकेदारों को रू० 58,78,688= का अननुमोदित अनियमित भुगतान कर दिया गया। इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित कर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण संज्ञान में लाया जा रहा है।

(2) ~~( )~~ नगरयी सडक सुधार योजना अन्तर्गत बिलो से पुरानी ईटो हेतु कटौती न किये जाने से न्यूनतम रू0 200,000=00 का अधिक भुगतान/वापसी आपेक्षितः–

नगरीय सडक सुधार योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि से कराये गये निर्माण कार्यो से सम्बन्धित पत्रावलियों की जॉच से प्रकाश में आया कि निम्नलिखित कार्यो में डिस्मेन्टलिंग आफ एक्जिस्टिंग ब्रिकवर्क का कार्य कराया गया था तथा स्वीकृत आगणन में डिस्मेन्टलिंग फार ओल्ड ब्रिक्स एण्ड अदर मटेरियल हेतु निम्नवत् एल/एस (एलमसम) धनराशि घटायी गयी थी, परन्तु भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल से इस मद मे कोई धनराष्शि नही घटायी गयी। पुरानी ईटो तथा अन्य सामग्री हेतु बिल से कोई कटौती न किया जाना गम्भीर आपत्ति जनक है। स्पश्ट है कि ठेकेदारो को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से उक्त कटौती नही की गयी, जिससे ठेकेदारो का निम्नवत् न्यूनतम रू0 200,000=00 का अधिक भुगतान कर दिया गया, जिसके लिए सीधे तौर पर अवर अभियन्ता उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए रू0 200,000=00 का वापसी करायी जाये। जिसका विवरण निम्नवत् है–

क0	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	डिस्मेन्टलिंग फार ओल्ड ब्रिक्स	बी0ओ0क्यू0 में घटाई गयी कास्ट आफ ओल्ड ब्रिक्स	अधिक भुगतान
1	बिलग्राम मुख्य मार्ग चौराहा से सरकारी हास्पिटल तक सडक के दोनो ओर फुटपाथ का निर्माण	श्रीमती मालती सिंह	346.84	100.000=00	100.000=00
2	बिलग्राम सदर बाजार से पीपल चौराहा से गुलाब बाडी चुगी तक फुटपाथ निर्माण	श्री सरोज कुमार तिवारी	54.72	50,000=00	50,000=00
3	सदर बाजार पीपल चौराहा से पावर हाउस प्रजापति मार्केट तक फटपाथ निर्माण	श्री दिलीप कुमार गुप्ता	28.17	50.000=00	501000=00
				अधिक भुगतान–	2,00,000=00

(2) उपरोक्त कार्यो से सम्बन्धित माप पुस्तिका जॉच हेतु प्रस्तुत नही की गयी है इसे आपेक्षित विस्तुत जॉच हेतु आगामी सम्परीक्षा अवसर पर प्रस्तुत की जाये।

(3) विघुत पोलो की शिफटिंग कार्य में मै0 नीरज इले0 हरदोई को रू0 1,15,036=00 का अधिक भुगतान तथा अन्य अनियमितताएः– नगर पालिका परिषद बिलाग्रमा में मेनगेट चौराहा से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलग्राम एवं पीपल चौराहा तक विघुत पोलो को शिफट कराये जाने के कार्य का आगणन रू0 14,64,301=00 का तैयार कंर निविदाये आमन्त्रित की गयी थी। निर्धारित तिथि पर निम्नवत् तीन निविदाये प्राप्त हुई थी।

(1) मे0 नीरज इले0 हरदोई।

(2) मै0 राठौर इण्टर प्राइजेज

(3) अजय पाल सिंह।

उपरोक्त में मै0 नरीज इले0 हरदोई को न्यूनतम निविदा आधार पर कार्यादेश 23–01–15 निर्गत किया गया था।

(1) मैं0 नीरज इले0 हरदोई की फर्म के जॉच के समय प्रकाश में आया कि पंजीकरण का नवीनीकरण दिनॉक 28–11–13 को अग्रिम एक वर्श के लिए ही अधीक्षण अभियन्ता मध्याचल विघुत वितरण निगम लि0 द्वारा किया गया था पत्रावली अनुसार इसके पश्चात फर्म का नवीनीकरण नही कराया गया था। अर्थात निविदा तिथि तथा कार्यादेश निर्गमन तिथि के उक्त फर्म का पंजीकरण अनवीकृत तथा फर्म अपंजीकृत थी अपंजीकृत फर्म को निविदा प्रकिया में सम्मिलित किया जाना गम्भीर आपत्ति जनक था इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाये।

(2) इसी प्रकार मैं0 राठौर इण्टर प्राइजेज की फर्म का नवीनीकरण दिनॉक 12–12–13 से एक वर्ष के लिए ही था तथा अजय पाल सिंह का पंजीकरण उप महाप्रबन्धक विघुत वितरण मण्डल, उ0प्र0, पावर कार्पोरेशन के पत्रांक 3390/वि0वि0 मह0ह0/सी0–4 दिनॉक 28–12–04 द्वारा किया गया था इसके पश्चात से इनकी फर्म का कोई नवीनीकरण नही किया गया था।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि निविदा तिथि के उपरोक्त तीनो फर्मे अपंजीकृत/ अनवीकृत थी। अर्थात अपंजीकृत फर्मो को निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित कर वैध निविदा प्रक्रिया का पालन नही किया गया यह गम्भीर आपत्ति जनक था।

(3) पत्रावली अनुसार उपरोक्त तीनो फर्मे विघुत सुरक्षा निदेशालय से भी पंजीकृत नही थी । जबकि नियमानुसार कोई भी विघुत कार्य का ठेका उसी फर्म को स्वीकृत किया जा सकता है जो फर्म विघुत सुरक्षा निदेशालय से विघुतीय कार्य कराये जाने हेतु पंजीकृत होगी। उपरोक्त अनियमितता के सम्बन्ध में भी स्थिति स्पष्ट करायी जाये।

(4) नगर पालिका द्वारा विघुत पोलो की शिफटिंग का कार्य रू0 14,64,640=00 मूल्य का कराया गया, फिर भी उक्त कार्य की एम0बी0 किसी अवर अभियन्ता द्वारा नही करायी गयी बिना एम0बी0 के भुगतान अनियमित एवं आपत्ति जनक है। इस सम्बन्ध में कारण स्पष्ट किया जाये।

(5) जॉच के समय प्रकाश में आया कि उप खण्ड अधिकारी मध्याचल विघुत वितरण निगम लि0 वि0वि0 उपखण्ड (।।) हरदोई द्वारा फर्म के बिल को वेरीफाई किया गया था परन्तु विघुत पोलो की शिफटिंग का कार्य सन्तोषजनक किये जाने का कोई प्रमाण पत्र नही दिया गया था यह आपत्ति जनक था। सन्तोषजनक कार्य प्रमाण पत्र के बिना भुगतान अनियमित है।

(6) जॉच के समय प्रकाश में आया कि बिल में 41एसटी0पोल का भुगतान रू0 14,638=00 प्रति की दर से रू0 600,158=00 का किया गया था। पत्रावली में उ0प्र0, पावर कार्पोरेशन लि0 का एस0ओ0आर0 संलग्न नही था। जिससे दरो का सत्यापन नही किया जा सका, परन्तु यू0पी0पी0सी0एल0 की वेबसाइट पर 01–4–16 से लागू दरो में एस0टी0 पोल (11 मी0 लम्बे) रू0 12,442=00 प्रतिपोल की दर दर्शित है। अतः स्पष्ट है कि वर्ष 2015–16 में उक्त दर और भी कम रही होगी। इस प्रकार प्रतिपोल (24,638–12442) रू0 2196=00 की दर से 41 पोलो हेतु कम से कम रू0 90,036=00का फर्म को अधिक भुगतान कर दिया गया था।

वर्ष 2015–16 का सोर प्रस्तुत कर दरो का सत्यापन कराया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की वापसी सम्बन्धित फर्म से करायी जाये।

(7) फर्म के बिल में रोड/कम्यूनिकेशन लिंक हेतु रू0 25,000=00 एक्ट्ररा कास्ट के रूप में जोडा गया था, जिसका भुगतान न0पा0प0 द्वारा अनियमित रूप से फर्म को कर दिया गया । जबकि रोड कटिंग हेतु भुगतान न0पा0प0 के स्वंय के खाते में तथा कम्यूनिकेशन लाइन हेतु भुगतान बी0एस0एन0एल0 को किया जाना चाहिए था। इस प्रकार रू0 25000=00 फर्म को अनियमित रूप से भुगतान किया गया । जिसकी वापसी आपेक्षित है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवरण से स्पश्ट है कि विघुत पोलो की शिफटिंग कार्य में न0पा0प0 द्वरा अत्यन्त गम्भीर अनियमितताऐ बरती गयी तथा ठेकेदार फर्म को कुल रू0 1,15,036=00 का अधिक भुगतान कर दिया गया।

<u>(4) बधाई सन्देशो के प्रकाशन पर अनियमित भुगतान रू0 99,838=00 :–</u> संस्था पर आलोच्य अवधि में निम्नवत् बधाई सन्देशो का प्रकाशन विभिन्न समाचार पत्रोक में कराया गया था, जिसके लिए सम्पूर्ण वर्ष में रू0 99838=00 की भारी धनराशि का भुगतान किया गया ।

शासन द्वारा विभिन्न. शासनादेशो द्वारा शासकीय धन के मितव्यमिता पूर्ण उपभोग हेतु समस्त प्रकार के बधाई सन्देशो के प्रकाशन पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाया जा चुका है।

उक्त के सम्बन्ध में गत एवं विगत सम्परीक्षा अवसरो पर आपत्ति किये जाने के बावजूद पालिका द्वारा आलोच्य अवधि में भी रू0 99838=00 का अनियमित भ्रुगतान बधाई सन्देशो को प्रकाशन हेतु किया गया। यह गम्भीर आपत्ति जनक है उपरोक्तानुसार अनियमित भुगतान हेतु उत्तरदायी के निजी स्त्रोतो से सम्पूर्ण धनराशि की वसूली करायी जाये।

भुगतान का विवरण निम्नवत् है–––

क्र0	वा0स0 / तिथि	चेक सं0 / तिथि	धनराशि	प्रकाशक तथा विवरण
1	35 / 21–8–15	527073 / 21–8–15	2000=00	आज प्रकाशन के 40 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई सन्देश
2	38 / 21–8–15	527074 / 21–8–15	5000=00	राष्ट्रीय प्रस्तावना ईद की शुभकामनाये
3	39 / 21–8–15	527075 / 21–8–15	5000=00	ईथकल स्पाट मासिक पत्रिका गणतन्त्र तथा नववर्ष की शुभकामनाये
4	35 / 25–2–16	615755 / 25–2–16	15000=00	अमर उजाला गणतन्त्र दिवस
5	41 / 19–3–16	381819 / 19–3–16	10765=00	राष्ट्रीय प्रस्तावना दिस
6	42 / 12–3–16	381820 / 19–3–16	18,000=00	दैनिक जागरण गणतन्त्र दिवस
7	60 / 21–3–16	615783 / 21–3–16	18048=00	हिन्दूस्तान मीडिया हिन्दुस्तातान की 61 वी वर्श गांठ पर शुभकामनाये।
8	26 / 21–7–15	527035 / 21–7–15	2000=00	बधाई सन्देश हेतु अवध की आवाज
9	29 / 21–7–15	527037 / 21–7–16	5000=00	मरियम टाइम होली पर्व पर
10	21 / 21–7–15	527038 / 21–7–15	5000=00	जन सन्देश को स्वतन्त्रता दिवस की बधाई।
11	41 / 27–11–15	381794 / 27–11–15	4998=00	अमर उजाला गणतन्त्र दिवस
12	43 / 27–11–15	381795 / 27–11–15	2000=00	जन सन्देश प्रकाश 15 अगस्त
13	30 / 22–12–15	381805 / 22–12–15	5027=00	हिन्दूस्तान मीडिया बेचर्स 26 जनवरी 15 पर
14	31 / 22–12–15	381806 / 22–12–15	2000=00	आधुनिक गाण्डीव 26 जनवरी 15 पर
		योग–	99838=00	

(5) आदर्श नगर योजनान्तर्गत एल0ई0डी0 लाइट अधिष्ठान कार्य के बिलो से 1 प्रतिशत श्रम सेस की कटौती न किये जाने से शासकीय राजस्व की क्षति रू0 90,382=00 :– न0पा0प0 बिलग्राम द्वारा आलोच्य वर्ष में आदर्श नगर योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि से एल0ईडी0 लाइट अधिष्ठान का कार्य में0 लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स हरदोई से न्यूनतम निविदा आधार पर कराया गया था।

पत्रालियों की जॉच के समय प्रकाश में आया कि फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलो से 2.66 प्रतिशत आयकर तथा 4 प्रतिशत व्यापार कर की कटौती उपरान्त सम्पूर्ण धनराशि फर्म को भुगतान कर दी गयी थी। चूंकि एलईडी0 लाइट के अधिष्ठापन का कार्य भी मैं0 लक्ष्मी इलेक्टिकल्स द्वारा ही कराया गया था। अतः बिलो से नियमानुसार 1 प्रतिशत श्रम सेस की कटौती भी की जानी चाहिए थी, जो नही की गयी थी। फलतः शासन को निम्न विवरणनुसार कुल रू0 90382=00 के शासकीय राजस्व की क्षति उठानी पडी तथाउक्त सीमा तक ठेकेदार को अधिक भुगतान कर दिया। अतः मैं0 लक्ष्मी इले0 हरदोई को किये गये अधिक भुगतान रू0 90382=00 की वापसी कराते हुए। इसे राजकोष के निर्धारित लेखा शीर्षकान्तगत जमा कराया जाय। विवरण निम्न है----

क0	बिल संख्या/तिथि	बिल राशि	1 प्रतिशत श्रम सेस
1	56/2 12-8-15	7,93,216=00	7,932=00
2	94/2 6-9-15	720,239=00	7,202=00
3	62/2 14-8-15	26,64,825=00	26,648=00
4	93/2 26-9-15	6,74,667=00	6,746=00
5	57/2 12-8-15	6,20,858=00	6,209=00
6	73/2 01-9-15	6,73,965=00	6740=00
7	53/2 07-8-15	8,09,595=00	8,096=00
8	58/2 13-8-15	20,80,785=00	20,808=00
		शासकीय राजस्व की क्षति	90,382=00

(6) राजकीय अनुदानो पर अर्जित ब्याज के रूप में प्राप्त धनराशि रू0 27,05,104=00 शासन को वापस न किया जाना आपत्ति जनक :- शा0 सं0-ए-1-122/दस -2012-10 (33) 2010 दिनॉक 21-3-12 द्वारा समस्त विभागाध्यक्षो को स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि जिन विभागो व सस्थाओं में बैंक खाते खोले गये हो तो चालू खातो को बचत खातो में परिवर्तित करने की कार्यवाही अवश्यकर ली जाय।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये थे कि शासन द्वारा अवमुक्त राशियॉ/राजकीय अनुदानों को यदि बैंक खातो में जमा किया जाता है तो उन जमा राशियों पर अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखा शीषर्कान्तर्गत राजकोष में जमा करना होगा।

न0पा0प0 बिलग्राम के अभिलेखो की जॉच के समय प्रकाश में आया कि पालिका द्वारा निम्नलिखित खातो का संचालन चालू खातो के रूप में यिका जा है जो कि शासनादेश के विरूद्ध है तथा उक्त खातो के चालू खाता होने के कारण उनमें जमा भारी धनराशियों पर बैंक द्वारा कोई ब्याज भी नही दिया जा रहा था। जिससे ब्याज के रूप में शासन तथा पालिका को गम्भीर आर्थिक क्षति उठानी पड रही है।

पालिका द्वारा संचालित चालू खातो का विवरण निम्नलिखित है---

क्र0	निधि का नाम	बैंक का नाम	खाता सं0	31-3-16 को अवशेष
1	राज्य वित्त आयोग से सम्बन्धित	भारतीय स्टेट बैंक बिलग्राम	11125655105	4685,762=00
2	नगरीय सडक सुधार योजना	-''-	34663635242	7672578=00
3	पालिका निधि	पंजाब नेशनल बैंक शाखा बिलग्राम	4105002100000139	1,54,353=00

शासनादेश के अनुपालन में उपरोक्त चालू खातो को बचत खातो में परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही की जाये।

(2) नगर पालिका परिषद बिलग्राम के निम्नालिखित खाते बचत खातो के रूप में संचालित थे जिसमें जमा धनराशियॉ पर ब्याज अर्जन हो रहा था। बैंक पासबुको की समीक्षा से जहॉ तक सुनिश्चित किया जा सका उक्त खातो में सम्परीक्षा तिथि तक अर्जित ब्याज के रूप में निम्नवत् रू0 27,05104=00 की धनराशि प्राप्त हुई थी।

(क) नया सवेरा योजना से सम्बन्धित एस0बी0आई0 बिलग्राम के खाता सं0–33189779697 में अर्जित ब्याज–––

क0	तिथि	आर्जित ब्याज
1	21–12–13	81,096=00
2	30–6–14	84,214=00
3	25–12–14	60,897=00
4	25–6–15	27,186=00
5	25–12–15	14,956=00
6	25–6–16	11,064=00
	योग	2,79,413=00

(ख) नगरीय जल निकासी –एस0बी0आई0 बिलग्राम के खाता सं0–33189855139 में अर्जित ब्याज–

क0	तिथि	अर्जित ब्याज
1	31–12–13	38,438=00
2	30–06–14	4,818=00
3	25–12–14	2,560=00
4	26–06–15	1,550=00
5	25–12–15	950=00
6	25–6–16	969=00
	योग	49285=00

<u>(ग) बी0आर0जी0एफ0–पी0एन0बी0– बिलग्राम खाता सं0– 4105000100059867 में अर्जित ब्याज :–</u>

क0	तिथि	अर्जित ब्याज
1	3–3–13	36,607=00
2	8–9–13	66,397=00

3	4–3–14	48,682=00
4	6–9–14	33,994=00
5	6–3–15	22754=00
6	6–9–15	23590=00
7	5–3–16	23804=00
8	3–6–16	12273=00
9	2–9–16	12,397=00
	योग	280,498=00

(घ) आदर्श नगर योजना– पी0एन0बी0 बिलग्राम खाता से 4105000100048384 में अर्जित ब्याज–

क0	तिथि	अर्जित ब्याज
1	3–9–10	68,576=00
2	4–3–11	97,630=00
3	7–9–11	29,487=00
4	8–3–12	11,036=00
5	2–9–12	11,380=00
6	3–3–13	11,785=00
7	8–9–13	82,013=00
8	4–3–14	40,916=00
9	6–9–14	64368=00
10	6–3–15	45423=00
11	6–9–15	281754=00
12	5–3–16	1,48,386=00
13	3–6–16	31897=00
		9,24,651=00

(ड0) 13वॉ वित्त आयोग पी0एन0बी0 बिलग्राम खाता सं0– 2003000100714987में

अर्जित ब्याजः–

क0	तिथि	अर्जित ब्याज
1	01–3–09	6,306=00
2	04–9–09	15,245=00
3	06–3–10	18,812=00
4	03–9–10	25,148=00
5	04–3–11	33077=00
6	07–9–11	42,868=00
7	08–3–12	45,047=00
8	02–9–12	8,503=00
9	03–3–13	75,415=00
10	08–9–13	1,03,901=00
11	04–3–14	1,42,119=00
12	06–9–14	1,26,405=00
13	06–3–15	1,23,336=00
14	02–9–15	1,18,508=00
15	05–3–16	1,98,633=00
16	03–6–16	87,934=00
	योग	11,71,257=00

उपरोक्त अर्जित ब्याज रू0 27,05,104=00 की वापसी कोषागार के निर्धारित लेखा शीर्षकान्तर्गत शीघ्र करायी जाये।

(7) पंचवर्षीय कर निर्धारण न किये जाने से पालिका को लाखो रूपये वार्षिक की अनवरत क्षति :– न0पा0प0 बिलग्राम द्वारा अन्तिम पंचवर्षीय कर निर्धारण वर्ष 2002–03 से 2006–07 हेतु किया गया था, जिसे अत्यधिक बिलम्ब से 2004–05 से लागू किया गया था। उक्त कर निर्धारणानुसार गृहकर तथा जलकर की वार्षिक मॉग क्रमशः रू0 1,17,005=00 व रू0 2,14,520=00 थी।

सम्परीक्षा में जॉच हेतु उपलब्ध कराये गये विवरणानुसार गृहकर एवं जलकर की उक्त मॉग ही निरन्तर प्रत्येक वर्ष स्थापित की जा रही थी। पालिका द्वारा पंचवर्षीय कर निर्धारण नही किया नियमानुसार वर्ष 2007–08 से 2011–12 तथा पुनः 2012–13 से 2016–17 हेतु पुनः निर्धारण करते हुए करो में वृद्धि की जानी थी। पंचवर्षीय कर निर्धारण न किये जाने से पालिका को निरन्तर लाखो रूपये वार्षिक का आर्थिक क्षति उठानी पड रही थी। यह गम्भीर आत्ति जनक था। इस सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करते हुए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाय तथा पंचवर्षीय कर निर्धारण न कराये जाने हेतु उत्तरदायी बोर्ड तथा अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(2) जॉच के समय यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि नगर पालिका सीामन्तर्गत वर्ष 2002–03 (कर निर्धारण वर्ष) के पश्चात् अनेक नई सृजित सम्पत्तियों पर अभी तक कर आरोपित नही किया गया था। यह स्थिति गम्भीर आपत्तिजनक थी। उ0प्र0 पालिका लेखा नियमावली के नियम–17 के अनुसार नगर पालिका सीमान्तर्गत नवनिर्मित भवनो पुर्ननिमाणो तथा वर्तमान भवनो के परिवर्धन के सम्बन्ध में त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत किंया जायेगा तथा उपरोक्तानुसार नव सृजित सम्पत्तियों पर नियमानुसार गृहकर तथा जलकर आरोपित किया जायेगा।

पिछले 12 वर्षो से समान तर्वमान मॉग स्थापित किये जायने से स्पष्ट है कि उक्तानुसार त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत नही किया जा रहा था, जिससे पालिका क्षेत्रान्र्तत पिछले 12 वर्षो में नये बने मकानो तथा परिवर्धित मकानो पर गृहकर जलकर आरोपित नही किया गया था। फलतः पालिका के कर एवं राजस्व की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। इस सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करते हुए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाय तथा त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करते हुए नवसृजित सम्पत्तियों पर प्रभावी ढग से करारोपण किया जाये।

<u>(8) दुकान किराये की वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से रू0 93,904=00 का भारी बकाया :–</u>प्रस्तुत असत्यापित दुकान किराया पंजी की जॉच से प्रकाश में आया कि पालिका द्वारा दुकानो के किराये की वसूली हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही नही की जा रही थी। जिससे बकाया राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। पालिका प्रशासन की उदासीनता के कारण ही दुकार किराया का जो

बकाया 31–3–14 को रू0 55,134=00 था। यह बढकर 31–3–15 को रू0 73,656=25 ताकि 31–3–16 को रू0 93,904=25 हो गया है यह गम्भीर आपत्ति जनक था दुकान किराये की शत् प्रतिशत वसूली न किये जाने के कारण पालिका को गम्भीर आर्थिक क्षति उठानी पड रही है।

किराया पंजी की समीक्षा में पाया गया कि कतिपय किराया दरो द्वारा 90 माह से भी अधिक समय दुकान किराया बकाया है फिर भी पालिका द्वारा उनके विरूद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही/बेदखली की कार्यवाही नही की गयी तथा किराया जमा करने हेतु नोटिस तक जारी नही किया गया है। पालिका अधिकारियों/कर्मचारियो की मिली भगत से उक्त किराये दार बिना किराया जमा किये ही पालिका की दुकानो पर अवैध रूप से काबिज है। अतः इन किरायेदारो से बकाया किराये की शत्प्रतिशत वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।

बकाया दरो के कतिपय उदाहरण निम्नवत् है।

क0	नाम किरायेदार	दुकान न0	किराया प्रतिमास	31–3–16 को बकाया	बकाया अवधि
1	श्री अ0 गफफार पुत्र हबीबुल्ला	2	218=75	4406=00	20 माह
2	श्री अशफाक खॉ पुत्र असगर खॉ	4	–''–	12562=00	58 माह
3	श्री सलाम तुल्ला पुत्र नियाम तुल्ला	5	–''–	5031=25	23 माह
4	श्री हारून खॉ पुत्र रज्जाक खॉ	6	–''–	4469=00	20 माह
5	श्री शिशकान्त पुत्र	12	–''–	4749=00	22 माह
6	श्री जहीर खॉ पुत्र म0 हमीद खॉ	15	281=25	6749=50	24 माह
7	श्रीमती शिवदेवी पत्नी राजेन्द्र वर्मा	24	–''–	25428=00	91 माह
8	श्री वकील अहमद पुत्र सगीर अहमद	20	–''–	6467=00	23 माह
9	श्री सलीम मसूदी पुत्र मो0 जहूर	21	–''–	5611=25	20 माह

(ख) दुकान किराये की मॉग वसूली तथा बकाया की स्थिति संलग्न परिशिष्ट –'ज' मे दी गयी है।

(9) 13वॉ/14वॉ वित्त अन्तर्गत क्रीत कन्टेनर के बिल से स्त्रोत पर वैट तथा जमानत राशि न काटा जाना गम्भीर आपत्तिजनक रू0 173652=00 :–

(।) 13वॉ वित्त अन्तर्गत तथा 14वॉ वित्त अन्तर्गत प्राप्त धनराशियों से क्रमशः 4–4 एम0एस0 कन्टेनर (क्षमता 4 घनमी0) का क्रय सर्वन्यून निविदा आधार पर में राप्ती इन्जीनियरिंग बर्क्स हरदोई से रू0 81200=00 प्रति कन्टेनर की दर से किया गया था। फर्म का भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल से0–23/1 दिनॉक 30–3–16 अकन रू0 64,96,00=00 के विरूद्ध 6,32,320=00 का भुगतान 2.66 प्रतिशत आयकर की कटौती करते हुए किया गया था।

(1) पालिका द्वारा बिल से 4 प्रतिशत की दर वैट रू0 25984=00 तथा 8 प्रतिशत की दर से जमानत राशि रू0 51968=00 कुल रू0 77952=00 की कटौती नही की गयी थी। फर्म द्वारा 2 प्रतिशत धरोहर राशि निविदा के साथ एफ0डी0आर के रूप में जमा की गयी थी वैट तथा जमानत राशि की कटौती न किया जाना गम्भीर आपतितजनक था। वैट की स्त्रोत पर कटौत न किया जाना गम्भीर आपत्तिजनक था वैट की स्त्रोत पर कटौती न किये जाने से फर्म को रू0 259,84=00 का अधिक भुगतान कर दिया गया । उपरोक्त बिल के विरूद्ध फर्म द्वारा यदि वैट जमा किया गया हो तो उसकी अभिलेखीय पुष्टि वैट कार्यालय से करायी जाये।

(2) फर्म के बिल से 8 प्रतिशत की राशि की कटौती नही की गयी थी, साथ साथ फर्म के निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर कोई लिखित अनुबन्ध भी नही कराया गया था। ऐसी स्थिति में आपूर्ति की गयी सामग्री अथवा अधिष्ठापन की गुणवत्ता में कोई कमी पायी जाती है तो संस्था के पास फर्म के विरूद्ध किसी प्रकार वैधानिक कार्यवाही का कोई विकल्प ही नही होगा, ऐसी स्थिति में पालिका को गम्भीर क्षति उठान पड सकती है। इस सम्बन्ध में औचित्य स्पष्ट करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(।।) इसी प्रकार 13वॉ/14वॉ वित्त से क्रीत ट्रेक्टर कैरियर कन्टेनर 4.5 घन मी0 1अदद रू0 5,44,500=00 में राप्ती इन्जी0 वर्क्स हरदोई के बिल 22/1 दिनॉक 30–3–16 से मात्र आयकर की कटौती की गयी, जबकि वैट तथा जमानत नही काटी गयी। उपरोक्त बिल से रू0 21900=00 की वैट कटौती नही की गयी थी

यदि फर्म द्वारा उक्त बिल के विरूद्ध वैट जमा किया हो तो उसकी पुष्टि व्यापार कर कार्यालय से करायी जाय।

(10) अचल सम्पत्तियों के अन्तरण बिलेखो पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि प्राप्त न किया जाना:– पालिका क्षेत्रान्तर्गत अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण बिलेखो पर 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क प्राप्ति विषयक नियमावली गजट में प्रकाशित करायी जा चुकी थी नियमावली के गजट में प्रकाशनोपरान्त भी पालिका द्वारा उपायुक्त स्टाम्प उ0प्र0 इलाहाबाद से 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की प्राप्ति हेतु कोई प्रयास नही किये गये फलतः पालिका को गत एवं विगत वर्शो की भॉति ही आलोच्य वर्ष में भी उक्त मद में निबन्धन विभाग से कोई धनराशि प्राप्त नही हुई थी जिससे संस्थ को गम्भीर आर्थिक क्षति उठानी पडी तथा उक्त धनराशि प्राप्त न होने के कारण पालिका में विकास कार्य बाधित हुए।

पालिका अभिलेखा में नामान्तरण अथवा मानचित्र पारित कराने के उदेश्य से कतिपय मामलो में 2 प्रतिशत की धनराशि फार्म –5 के माध्यम से पालिका कार्यालय में जमा करायी गयी थी । इस हेतु अनुरक्षित रजिस्टर की जॉच से प्रकाश में आया कि आलोच्य वर्ष में कुल रू0 140,459=00 की धनराशि व अर्थदण्ड रूप में रू0 2500=00 की प्राप्ति दर्शायी गयी थी उपरोक्त धनराशि मात्र 24 अन्तरण बिलेखो से प्राप्त हुई थी, जबकि समस्त वर्श में पालिका क्षेत्राान्तर्गत सैकडो अन्तरण बिलेखो की रजिस्ट्री निबन्धन कार्यालय में हुई होगी जिनकी धनराशि पालिका को प्राप्त नही हुइ। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना आपेक्षित है।

(2) नियमावली के गजट में प्रकाशन तिथ से पालिका क्षेत्रान्तर्गत हुई रजिस्ट्रियों का विवरण प्राप्त कर 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय।

(3) जॉच हेतु प्रस्तुत रजिस्टर त्रुटिपूर्ण बनाया गया ाि। उक्त रजिस्टर में सम्पत्ति की मालियत को अंकन नही किया गया था। मालियत के अंकन बिना 2 धनराशि की गणना किस आधार पर की गयी थी। स्पष्ट किया जाये।

(4) रजिस्टर में विक्रेता के नामो की प्रविष्टि भी नही की गयी थी।

(5) उक्त पंजी का सत्यापन अथवा जॉच अधिशसी अधिकारी द्वारा कभी भी नही की गयी थी।

(6) रोकडबही के अनुसार उक्त मद में रू0 1,50,719=00. की प्राप्ति हुई थी जबकि रजिस्टर के अनुसार रू0 140,459=00 की प्राप्ति दर्शायी गयी थी। अतः रू0 10,260=00 का अन्तर था इससे स्पष्ट है कि कतिपय रजिस्ट्रियों की प्रविष्टियॉ रजिस्टर में नही की गयी थी। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय।

(11) किराया दुकानात में सामयिक वृद्धि न किये जाने से आर्थिक क्षति रू0 86047=00 :– प्रस्तुत दुकान किराया मॉग समाहरण पंजी के अनुसार पालिका के स्वामित्व आधीन निम्नवत् 30 दुकान थी, जिन्हे अतिन्यून किराये पर उठाया गया था तथा इनकी आवटन पत्रावली भी अनुरक्षित नही की गयी थी। किराये की वर्तमान प्रचलित दरो/सार्किल दरो के परिप्रेक्ष्य में पालिका द्वारा वसूल किया जा रहा किराया नगण्य है। किराये में वृद्धि किये जाने के समबन्ध में गत एवं विगत सम्परीक्षा अवसरो पर लगातार आपत्तिज किये जाने के उपरान्त भी पालिका द्वारा किराया वृद्धि के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न किया जाना पालिका प्रशासन की गम्भीर उदासीनता का घोतक है। दुकानों के किराये में आपेक्षित वृद्धि न किये जाने के कारण पालिका को गम्भीर आर्थिक क्षति पहुचायी जा रही है।

नियमानुसार प्रत्येक 5 वर्ष पर किराये में न्यूनतम 10 प्रतिशत की वृद्धि किया जाना चाहिए। चूंकि पालिका द्वारा आवटन पत्रावलियों का अनुरक्षण नही किया गया है अतः दुकानो की वास्तविक आवटन तिथियॉ अज्ञात रही। गत आख्या के अनुसार यदि दुकानो का आवटन अनुमानतः वर्ष 2004 का मान लिया जाय तो पालिका को 31–3–16 तक संलग्न विवरणानुसार लगभग रू0 86047=00 की आर्थिक क्षति उठायी पडी है। इसका औचित्य स्पष्ट करते हुए आर्थिक क्षति हेतु उत्तरदायी बोर्ड/अधिकारियों से इसकी प्रतिपूर्ति करायी जाये तथा दुकान किराये में वृद्धि हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(2) किरायेदारो से कोई लिखित अनुबन्ध नही कराया गया था, जिससे पालिका का वैधानिक पक्ष अत्यन्त कमजोर है। यह गम्भीर आपत्तिजनक है। समस्त किराये दारो से नियमानुसार लिखित अनुबन्ध कराये जाये तथा उसमें पालिका हितो की रक्षा हेतु आवश्यक अनुच्छेदो का समावेश किया जाये।

(3) निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर लिखित अनुबन्ध न किये जाने से प्रभार्य स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन शुल्क के रूप में शासकीय राजस्व की क्षति पहुॅचायी गयी। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही आपेक्षित है।

(12) निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर ठेका अनुबन्ध न कराये जाने से शासन को रू0 18,830=00 के राजस्व की क्षतिः– ठेका पत्रावलियों की जॉच के समय प्रकाश में आया कि आलोच्य वर्ष हेतु उठाये गये निम्नलिखित ठेको का लिखित अनुबन्ध निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर नही कराया गया था, जिससे शासन को रू0 18,830=00 के राजस्व की क्षति पहुॅची। नियमानुसार ठेका राशि पर रू0 40=00 प्रति हजार की दर से स्टाम्प लगातार लिखित अनुबन्ध निष्पादित किया जाना आपेक्षित था विवरण निम्नतव् है–

क0	ठेके का नाम	ठेकेदार का नाम	ठेका राशि	निर्धारित स्टाम्प	लगाये गये स्टाम्प	कम स्टाम्प राजस्व की क्षति
1	ठेका अल्पावधि कब्जा	श्री सरोज तिवारी पुत्र देवी प्रसाद तिवारी	41,8000=00	16720=00	100=00	16620=00
2	ठेका नीलाम गन्दा पानी (मलकन्ठ नाला)	श्री फूलचन्द्र पुत्र मिश्री लाल	5,400=00	220=00	शून्य	220=00
3	ठेका नीलाम गन्दा पानी (कासूपेट)	श्री रामस्वरूप पुत्र छोट्टा	5700=00	230=00	शून्य	230=00
4	ठेका नीलाम गन्दा पानी (सैयद वाडा	श्री गुड्डू पुत्र नन्हेखान	1200=00	50=00	शून्य	50=00
5	ठेका नीलाम गन्दा पानी (मैदानपुरा)	श्री दिनेश चन्द्र पुत्र बाबूराम	5200=00	210=00	शून्य	210=00
6	ठेका नीलाम गन्दा पानी(खुर्दपुरा)	श्री राम कृष्ण पुत्र देवी चरण	12000=00	480=00	शून्य	480=00
7	ठेका छोटा मजबा	श्री वली उल्ला पुत्र कुदरत उल्ला 1300=00	60=00	60=00	शून्य	400=00
8	ठेका बडा मजबा	श्री लाल मोहम्मद पुत्र बउरे	9700=00	400=00	शून्य	560=00
9	ठेका हड्डी चमडा	श्री बिजय कुमार पुत्र राम स्वरूप	14000=00	560=00	शून्य	560=00
						18,830=00
क0	ठेके का नाम	ठेकेदार का नाम	ठेका राशि	निर्धारित स्टाम्प	लगाये गये स्टाम्प	कम स्टाम्प राजस्व की

						क्षति
1	ठेका अल्पावधि कब्जा	श्री सरोज तिवारी पुत्र देवी प्रसाद तिवारी	41,8000=00	16720=00	100=00	16620=00
2	ठेका नीलाम गन्दा पानी (मलकन्ठ नाला)	श्री फूलचन्द्र पुत्र मिश्री लाल	5,400=00	220=00	शून्य	220=00
3	ठेका नीलाम गन्दा पानी (कासूपेट)	श्री रामस्वरूप पुत्र छोट्टा	5700=00	230=00	शून्य	230=00
4	ठेका नीलाम गन्दा पानी (सैयद वाडा	श्री गुड्डू पुत्र नन्हेखान	1200=00	50=00	शून्य	50=00
5	ठेका नीलाम गन्दा पानी (मैदानपुरा)	श्री दिनेश चन्द्र पुत्र बाबूराम	5200=00	210=00	शून्य	210=00
6	ठेका नीलाम गन्दा पानी(खुर्दपुरा)	श्री राम कृष्ण पुत्र देवी चरण	12000=00	480=00	शून्य	480=00
7	ठेका छोटा मजबा	श्री वली उल्ला पुत्र कुदरत उल्ला 1300=00	60=00	60=00	शून्य	400=00
8	ठेका बडा मजबा	श्री लाल मोहम्मद पुत्र बउरे	9700=00	400=00	शून्य	560=00
9	ठेका हड्डी चमडा	श्री बिजय कुमार पुत्र राम स्वरूप	14000=00	560=00	शून्य	560=00
योग						18,830=00

उपरोक्त विवरणानुसार निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध न कराये जाने से शासन को रू0 18830=00 के राजस्व की क्षति उठानी पडी। यह गम्भीर

आपत्ति नजक था। सम्बन्धित ठेकेदारो से स्टाम्प मूल्य की वसूली करते हुए इसे राजकोष के निर्धारित लेखा शीर्षकान्तर्गत जमा कराया जाय।

<u>(13) ठेका अल्पावधि कब्जा समय से न उठाये जाने के कारण पालिका को न्यूनतम रू0 18345=00 की आर्थिक क्षति :–</u> ठेका अल्पावधि कब्जा की नीलाम पत्रावली की जॉच के समय प्रकाश में आया कि पालिका द्वारा अपने पत्र संख्या 2270/न0पा0प0वि0/नी0सूची 2014–15 दिनॉक 26–3–15 द्वारा ठेका अल्पावधि कब्जा की नीलामी दिनॉक 31–3–15 को किये जाने हेतु नीलामी सूचना जारी की गयी थी, परन्तु उक्त नीलामी की सूचना का प्रकाशन किसी भी समाचार पत्र में नही किया गया था जिससे उक्त ठेका नीलाम नही हो सका।

पालिका द्वारा अपने पत्र सं0–शून्य दिनॉक 31–3–15 द्वारा श्री प्रभाकर तथा श्री श्री कृष्ण (पालिका कर्मचारी) को 01–4–15 से अल्पावधि कब्जा शुल्क वसूलने हेतु आदेशित किया गया था।

ठेका अल्पावधि कब्जा की नीलामी दिनांक 18–5–15 को किये जाने हेतु दिनॉक 17–5–15 के स्वतन्त्र भारत में नीलामी सूचना का प्रकाशन कराया गया। नियत तिथि पर नीलाम न हो पाने पर पुनः नीलाम दिनांक 26–5–15 को किया जाना था। पत्रावली दिनॉक 18–5–15 को नीलामी के समबन्ध में थी दिनॉक 26–5–15 को तीन बोली दाताओं द्वारा बोली लागाई गयी थी। जिसमें उच्चतम बोली श्री सरोज कुमार तिवारी की रू0 418,000=00 की प्राप्त हुई। श्री तिवारी के दिनॉक 01–6–15 से 31–3–16 तक 10 माह हेतु अल्पावधि कब्जा शुल्क वसूलने हेतु आदेशित किया गया था।

दिनॉक 1–4–15 से 31–5–16 तक पालिका कर्मचारियों द्वारा अलपावधि कब्जा शुल्क की वसूली की गयी थी। पत्रावली अनुसार कर्मचारियों द्वारा दो माह में कुल रू0 65255=00 की वसूली की गयी थी। जबकि 1–6–15 से 31–3–16 हेतु 10 माह का ठेका रू0 4,18,000=00 में उठाया गया था। स्पष्ट है कि उपरोक्त ठेके से औसतन रू0, 41,800=00 प्रतिमाह की दर से दो माह में न्यूनतम रू0 83,600=00 की आय प्राप्त होनी चाहिए, जबकि कर्मचारियों द्वारा रू0 65,255=00 की वसूली की गयी। स्पष्ट है कि उक्त दो माहो में रू0 18345=00 की कम वसूली हुई।

पालिका प्रशासन की अपने निजी स्त्रोतो से आय के सम्बन्ध में उदासीनता के कारण ही ठेका अलपावधि कब्जा निर्धारित समय से नही उठाया जा सका, जिससे पालिका को उपरोक्त विवरणानुसार रू0 18345=00 की आर्थिक क्षति उठानी पडी। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए उत्तरदायित्व निर्धारित कर रू0 18,345=00 की वसूली करायी जाय।

(14) अतिन्यून दर से जलमूल्य आरोपित किये जाने से पालिका को आर्थिक क्षति रू0 700,800=00 :– जल सम्पूर्ति में निहित व्ययो में उत्तरोत्तर वृद्धि के दृष्टिगत शा0सं0–1810/9–2–96–57–(21)/96 दिनॉक 8–1–97 तथा नगर विकास विकास अनुभाग–2 के शा0 सं0 1183/9–2–98 दिनॉक 31–10–98 द्वारा जलमूल्य की दरो संसगत नियन्त्रक अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार उपविधि/नियमावली अथवा अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार उपविधि/नियमावली अथवा अधिसूचना में संशोधन करते हुए नगर पालिका क्षेत्रो में न्यूनतम रू0 50 प्रतिशत प्रतिमाह जलमूल्य की दरे निर्धारित किये जाने हेतु निदेशित किया गया था तथा नगर विकास अनुभाग

के शासनादेश दिनॉक 8–3–99 द्वारा व्यवसायिक जलमूल्य की दरे न0पा0प0 क्षेत्रो हेतु रू0 50=00 प्रतिमाह निर्धारित की गयी थी। उक्त के अतिरिक्त उपरोक्त शासनादेश द्वारा ही जलमूल्य की दरो में प्रत्येक वर्ष 7–1/2 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की व्यवस्था भी की गयी थी।

जॉच के समय प्रकाश में आया कि पालिका द्वारा उपरोक्त शासनादेशो की अवहेलना करते हुए वर्ष 1997 से वर्ष 2014–15 तक जलमूल्य की दरो में कोई वृद्धि नही की गयी तथा वर्ष 1980 में तत्कालीन प्रशासक (जिलाधिकारी) द्वारा निर्धारित की गयी जलमूल्य की अतिन्यून दरो से ही पिछले 18 वर्ष से वसूली की जा रही थी। उक्त दरे निम्नवत् थी।

3 सदस्यो के परिवार हेतु	= 5=00 प्रतिमास
8 से 15 सदस्यो हेतु	=5+0.75 पैसा प्रतिमास प्रति सदस्य
15 से अधिक हेतु	=5:0.05 पैसा प्रतिमास प्रति सदस्य
गैस घरेलू प्रयोग हेतु	=15=00 प्रतिमास

उपरोक्त विवरण से स्पश्ट है कि पिछले 18 वर्षो से जल उत्पादन में अत्यधिक व्यय करते हुए जलमूल्य की अतिन्यून वसूली कर नगर पालिका को लाखो रूपये की आर्थिक क्षति पहुँचाई जा रही थी, जिसके लिए तत्कालीन न0पा0 बोर्ड तथा अधिशाषी अधिकारी उत्तरदायी थे। नगर पालिका को जानबूझकर आर्थिक क्षति पहुँचाये जाने के सम्बन्ध में उत्तरदायी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण प्रकाश में लाया जा रहा है।

(2) पालिका परिषद द्वारा वर्ष 2015–16 से जलमूल्य की दरो को संशोधित करते हुए रू0 30=00 प्रतिमाह/ प्रतिकनेक्शन लागू किया गया था, जो उपरोक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित रू0 50=00 प्रतिमाह/प्रतिकनेक्शन से अभी रू0 20=00 प्रतिमाह/कनेक्शन कम है। यह गम्भीर आपत्ति जनक है।

शासनादेष जारी होने के 18 वर्ष पश्चात् भी इसका पूव्र से अनुपालन नही किया गया था। जल सम्पूर्ति में निहित व्ययो का अधिकांश भाग शासकीय अनुदानों पर भारित था। यह स्थिति अत्यन्त आपत्ति जनक थी। आलोच्य वर्ष में न0पा0प0 को पहुँचायी गयी आर्थिक क्षति की गणना निम्नवत् है।

गत सम्परीक्षा आख्या के अनुसार कुल जल संयोजन = 2800
01–4–15 से 15–10–15 तक नवीन जल संयोजन = अज्ञात
(जल संयोजन पंजी के अभाव में)
16–10–15 से 31–3–16 तंक नवीन जल संयाजन = 40
01–4–15 से 15–10–15 तक अनुमानित संयोजन = 80
कुल = 2.920
(2920×20×12 = 700800)

(3) जॉच हेतु प्रस्तु जल संयोजन पंजी 16–10–15 से प्रारम्भी थी इससे पूर्व की जल संयोजन पंजी भी जॉच हेतु प्रस्तुत की जाये।

(4) न0पा0प0 क्षेत्र में संचालित व्यावसायिक जल संयोजनो के समबन्ध में भी स्थिति स्पष्ट करायी जाय।

<u>(15)स्वकर प्रमाणली अन्तर्गत कर निर्धारण न किये जाने पालिका को अत्यधिक आर्थिक क्षति तथा नियमावली के प्रकाशन पर रू0 5,23044=00 का अलाभकारी व्यय :–</u> व्यय प्रमाणक सं0–32 दिनॉक 21–8–15 व व्यय प्रमाणक सं0–33 दिनॉक 21–8–15 द्वारा कमशः रू0 3,98,249=00 व रू0 1,24,795=00 का भुगतान कमशः दैनिक जागरण व हिन्दूस्तान प्रकाशन को स्वकर प्रमाणली नियमावली 2014 के प्रकाशन हेतु किया गया था।

जॉच के समय प्रकाश में आया कि स्वकर निर्धारण नियमावली 2014 का प्रकाशन समाचार पत्रों में करने के पश्चात इसको लागू किये जाने हेतु पालिका द्वारा कोई अग्रेत्तर कार्यवाही नही की गयी थी। जो गम्भीर आपत्तिजनक था। तथा स्वकर प्रणाली नियमावली 2014 के प्रकाशन पर रू0 523044=00 का पालिका निधि से अलाभकारी भुगतान किया गया था।

स्वतःकर प्रमाणी के अनुसार कर निर्धारण न कर पालिका द्वारा वर्ष 2002–03 के कर निर्धारण अनुसार अतिन्यून दरो पर गृहकर तथा जलकर की वसूली की जा रही थी, जिससे पालिका को वर्षानुवर्ष भारी आर्थिक क्षति उठानी पड रही थी।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालिका अपने निजी आय के स्त्रोत और संशाधन बढाये जाने के प्रति अत्यन्त उदासीन है तथा राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता (अनुदानो) पर निर्भर है। इस सम्बन्ध में शीघ्र प्रभावी कार्यवाही करते हुए स्वकर प्रणाली के अनुसार कर निर्धारण किया जा, जिससे पालिका की आय में वृद्धि हो सके तथा पालिका स्वावलम्बी बन सके।

(16) रू0 70,000=00 मूल्य के क्लोरीन का संदिग्ध कय :– व्यय प्रमाणक सं0–40 दिनॉक 21–8–15 द्वारा रू0 62538=00का भुगतान मै0जय दुर्गे केमिकल्स आगरा के बिल सं0 18/1 दिनॉक 10–6–15 अंकन 73500=00 के विरूद्ध 2000 केजी क्लोरीन साल्युशन हेतु रू0 35=00 प्रति किलो ग्रम की दर से (5 प्रतिशत बैंट सहित) 2.66 प्रतिशत आयकर एवं 8 प्रतिशत जमानत की कटौती उपरान्त किया गया था।

जॉच के समय प्रकाश में आया कि उपरोक्तानुसार रू0 70,000=00 मूल्य की क्लोरीन का कय बिना कोटेशन के पूर्व स्वीकृत दरो के आधार पर किया गया था, जबकि शा0 सं0–ए–1–1173/ दस–2004 –10–(55)/2000 दिनाक 27–4–2001 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पूर्व में प्राप्त टेण्डर के आधार पर पुनः नये फर्मो को अथवा चालू फर्मो के लिए रिपीट आर्डर नही दिये जायेगे। जबकि पालिका द्वारा शासनादेश की अवहेलना करते हुए दिनॉक 26–2–14 की स्वीकृत दरो के आधार पर उपरोक्त कय किया गया था। यह गम्भीर आपत्ति जनक था।

(2) जॉच के समय यह भी प्रकाश में आया कि फर्म की उपरोक्त सामग्री की आपूपर्ति हेतु कोई आपूर्ति आदेश भी निर्गत नही किया गया था। बिना आपूर्ति आदेश के ही फर्म द्वारा आपूर्ति किस आधार पर की गयी । स्पष्ट किया जाय।

(3) दिनॉक 10–6–15 को पम्प आपरेटर द्वारा सूचित किया गया कि स्टाक में ब्लीचिंग समाप्त होने वाला है अतः कार्य व्यवस्था को सुचारूरूप से चालाने हेतु ब्लीचिंग की व्यवस्था की जाये। दिनांक 10–6–15 को ही जलकल अभियन्ता द्वारा शीघ्र खरीददारी की संस्तुति की गयी। दिनॉक 10–6–15 को ही हेड क्लर्क ने अपनी रिपोर्ट अधिशाषी अधिकारी को प्रेषित की तथा 10–6–15 को ही अधिशाषी अधिकारी व अध्यक्ष द्वारा कय की स्वीकृति दी गयी।

दिनॉक 10–6–15 को ही आगरा की उपरोक्त फर्म द्वारा सामग्री की आपूर्ति कर दी गयी तथा दिनॉक 10–6–15 को ही स्टाक प्रविष्टि भी कर दी गयी थी। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्लोरिन की कयदारी संदिग्ध है।

(4) व्यय प्रमाणक के साथ संलग्न आगरा धर्मकाटा की रसीद सं0–169 (हस्तलिखित) के अनुसार यू0पी0 83टी09291 का वजन भरा हुआ 4370 केजी वजन खाली 2000 केजी तथा वजन सामग्री 2370 केजी अंकित था जबकि पालिका ,ारा 2000 केजी का कय दर्शाया गया था। तथा धर्मकाटा की खाली गाडी की वजन की रसीद पृथक होती है। तथा गाडी लोड होने के बाद पुनः वजन किया जाता है अर्थात धर्मकाटा की उक्त रसीद भी फर्जी प्रतीत होती है। स्थिति स्पश्ट की जाये।

भाग–ख

1– गत सम्परीक्षा आख्या की समीक्षा :– गत सम्परीक्षा आख्या संस्था कार्यालय में प्राप्त हो चुकी थी, परन्तु अनिस्तारित आपत्तियों के निस्तारण हेतु कोई अनुपालन आख्या तैयार नही की गयी थी। जिसके कारण अत्यधिक आपत्तियॉ अनिस्तारित

शेष पडी थी, अनुपालन आख्या शीघ्र तैयार करवाकर प्रस्तुत की जाय जिससे इनका निस्तारण समीव हो सके। अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण संलग्न परिशिष्अ–''क'' में दिया गया है।

2– वित्तीय स्थितिः– उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर जहाँ तक सुनिश्चित किया जा सका, आलोच्य अवधि में संस्था लेखे की वित्तीय स्थिति संलग्न परिशिष्ट –ख के अनुसार पायी गयी ।

टिप्पणीः– (1) वर्गीकृत सार तिाि मासिक/वार्षिक परिलेख तैयार नही किया गया था। अतः संलग्न वित्तीय स्थिति उपलब्ध कराये गये अभिलेखो की बाहय गणना पर आधारित है अतः परिर्वनीय हो सकती है।

(1) वर्गीकृत सार पंजी बनाकर संलगन आकडो को सत्यापन कराया जाये।

(2) गत सम्परीक्षा आख्या तथा रोकडबही पर अंकित विवरणानुसार रू0 2,20,711=00 कोषागार पी0एल0ए0 खातान्तर्गत विगत वर्षो से अवशेष चला आ रहा था। उक्त से सम्बन्धित कोषागार स्टेटमेन्ट जॉच हेतु प्रस्तुत नही किया गया है। इसे आगामी सम्परक्षा अवसर पर जॉच हेतु पस्तुत किया जाय।

(3) कोषागार की पी0एल0 खाते में उपरोक्त रू0 2,20711=00 अगस्त 2013 से अवरूद्ध पडा है, इसे शासन को कोषार्पित किया जाये।

(4) पालिका निधि से सम्बन्धित पी0ए0बी0 शाखा बिलग्राम के खाता सं0–415002100000139 की पासबुक में दिनॉक 1–10–15 को रू0 48788=00 बाय नेफट द्वारा जमा किये गये थे । उक्त धनराशि की प्रविष्टि रोकडबही में अंकित नही है। उक्त धनराशि की प्रविष्टि रोकडबही में अंकित नही है। उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाये।

(5) रोकडबही में 31–3–16 को रू0 9,89,651=00 विभिन्न बैंको से प्राप्त ब्याज का प्रविष्टि किया गया था, परन्तु ब्याज का प्रविष्टि किया गया था, परन्तु ब्याज का बैंक वार विवरण नही बनाया गया है। यह आपत्ति जनक था। अर्जित ब्याज का बैंक वार विवरण बनाकर इसका सत्यापन बैंक स्टेटमेन्ट से कराया जाय।

(6) रोकडबही पर अंकित अनभुनी चेको के विवरण में चेक की जारी करने की तिथि अंकित नही की गयी थी। यह आपत्तिजनक था। चेको के विवरण में चेक को

जानी करने की तिथि अंकित नही की गयी थी। यह आपत्तिजनक था। चेको की निर्गमन तिथियॉ अंकित करायी जाये।

(7) न0पा0प0 के कई बैंक खाते चालू खाते के रूप में संचालित है। इन्हे शासनादेश के अनुपालन में बचत खातो में परिवर्तित कराया जाये। (विस्तृत विवरण पृथक आपत्ति में अकित है।

(8) रोकडबही में 31–3–16 को बैंक समाधान विवरण बनाया गया है। परन्तु 31–3–16 को बैंक इतिशेषो के विवरण में नगरीय जल निकासी से सम्बन्धित भारतीय स्टेट बैंक शाखा बिलग्राम के खाता संख्या–33189855139 में अवशेष धनराशि रू0 48316=00 को सम्मिलित नही किया गया है। यह आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाये । यह आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाये। रू0 48316=00 की सम्मिलित किये जाने पर रोकडबही इतिशेष तथा बैंक इतिशेष के अन्तर को स्पष्ट कराया जाये।

(9) आय व्यय का विवरण संलग्न परिशिष्ट –ग में दिया गया है।

<u>3– राजकीय अनुदान:–</u> प्रमाणित किया जाता है कि आलोच्य अवधि में नगर पालिका परिषद को प्राप्त निम्नलिखित राजकीय अनुदानो का उपभोग विनिर्दिष्ट प्रयोजनो के लिए उनमें निहित रहते हुए किया गया था तो इसका उल्लेख इस आख्या में यथासीान कर दिया गया है। आलोच्य अवधि में संस्था को प्राप्त राजकीय अनुदानो का विवरण निम्नलिखित है।

क0	अनुदानों का विवरण	धनराशि
1	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	4,54,65,750=00
2	13 वॉ वित्त आयोग	45,19,233=00
3	आदर्श नगर योजना	1,53,00,000=00
4	नगरीय सडक सुधार योजना	1,42,96000=00
5	14वॉ वित्त आयोग (सी0एफ0सी0)	41,44,890=00

<u>टिप्पणी:–</u> (1) संस्था द्वारा अनुदान पंजी का अनुदान पंजी का अनुरक्षण नही किया गया था। अनुदान 'पंजी के अभाव में अनुदानो संकलन रोकडबही तथा

सम्बनिघत बैंकपासबुक के आधार पर किया गया जो अनुदान पंजी के नियमानुसार बनाये जाने पर परिवर्तनीय हो सकते है।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई आवर्तक/अनावर्तक अनुदान न0पा0प0 को प्राप्त नही हुआ था। कथन की पुष्टि करायी जाये।

(3) बी0आर0जी0एफ0 अनुदान हेतु रोकडबही तथा बैंक खाता पृथक रखे जाने के निर्देष थे, परन्तु नगर पालिका द्वारा रोकडबही का पृथक अनुरक्षण नही किया गया था। यह आपत्ति जनक़ था। नियमानुसार रोकडबही का पृथक अनुरक्षण किया जाये।

(4) राजकीय अनुदानो से सम्बन्धित बैक खातो में जमा धनराशियों पर अर्जित ब्याज शासन को अविलम्ब वापस किया जाये।

(5) पूछे जाने पर बताया गया कि आलोच्य अवधि में संस्था को विधायक निधि से रू0 22 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी।''

विधायक प्राप्त हुई थी। विधायक निधि से प्राप्त धनराशि की प्रविष्टि सामान्य रोकडबही से नही की गयी तथा उक्त से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख सम्परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत नही किये गये। यह गम्भीर आपत्तिजनक है–

(6) संस्था द्वारा अनुदान पंजी तैयार न किये जाने के कारण विभिन्न मदो में प्राप्त अनुदान की धनराशि से पृथक पृथक किया गया व्यय तथा अवशेष की स्थिति बाहय संकलन पर तैयार की गयी है अतः इसकी अभिलेखीय पुष्टि अपेक्षित हे– विवरण संलग्न परि0–''घ'' में दिया गया है।

(7) प्राप्त अनुदानो का विवरण संलग्न परि0–ड0 में तथा अप्रयुक्त अनुदानो का विवरण संलग्न परि0– च में दिया गया है–

4– राजकीय ऋण :– आलोच्य अवधि में नगर पालिका बिलग्राम को कोई राजकीय ऋण प्राप्त नही हुआ था। नया संदेश योजनान्तर्गत विगत वर्षो में प्राप्त धनराशि में से रू0 2,83,333=00 दिनॉक 31–3–16 को अप्रयुक्त अवशेष है। नया सन्देश से सम्बन्धित भारतीय स्टेट बैंक बिलग्राम के खाता सं0–33189779697 में 31–3–15 को अवशेष रू0 5,51,682=00 में से में से रू0 2,83,333=00 अप्रयुक्त अनुदान तथा रू0 2,68,349=00 अर्जित ब्याज का सम्मिलित है। सम्पूर्ण धनराशि सम्बन्धित विभाग को नियमानुसार वापस करायी जाये।

टिप्पणी:– पुष्टि करायी जाय कि आलोच्य अवधि में संस्था को कोई राजकीय ऋण प्राप्त नही हुआ था।

5– देय सम्परीक्षा शुल्क:– वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग की शा सं0 1705/दस–2010–101(33)/96 दिनॉक 21 जुलाई 2010 के अनुसार अगणित करने पर वर्ष 2,77,500=00 सम्परीक्षा शुल्क देय होता है। इससे सम्बन्धित सम्परीक्षा शुल्क ज्ञाप निर्गत कर दिया गया है। इसे कोषागार के निर्धारित लेखा शीर्षक अन्तर्गत शीघ्र जमा कराया जाय तथा ट्रेजरी चालान की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी प्रेषित की जाय।

6– विनियोजन:– आलोच्य अवधि में संस्था द्वारा पालिका निधि से कोई विनियोजन नही किया गया था और नही गत वर्षो में किया गया कोई विनियोजन भुनाये जाने हेतु शेष था। कथन की पुष्टि करायी जाये।

7– नकद परिसम्पति एवं दायित्व का विवरणः– संस्था द्वारा नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण गत एवं विगत वर्षो से ही नही बनाया गया था। यह गमीर आपत्ति जनक था। विवरण को शीघ्र तैयार कर जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाये।

8– भविष्य निर्वाह निधिः– आलोच्य अवधि में भविष्य निधि मासिक अभिदान तथा ऋण वापसी स्वरूप की गयी कटौतियों की धनराशि अघतन कर्मचारियों के भविष्य निधि सम्बनिधी बचत खातो में जमा की जा रही है, परन्तु भविष्य निधि लेजर तथा बैंक पास बुके, अपूर्ण पायी गयी। फलतः आपेक्षित जॉच सम्भव नही हो सकी। समस्त भविष्य निधि लेजर तथा बैंक पासबुक अद्‌यावधिक पूर्ण कराकर जॉच हेतु शीघ्र प्रस्तुत की जाय, जिससे इसकी समग्र जॉच सम्भव हो सके।

9– नजूलः– संस्था नजूल पंजी अनुरक्षित नही की गयी थी और यदि की गयी थी तो इसे जांूच हेतु प्रस्तुत नही किया गया। फलतः संस्था के स्वामित्व में विघमान नजूल सम्पत्तियों की स्थिति अज्ञात रही। इससे सम्बन्धित अभिलेख जॉच हेतु अविलम्ब प्रस्तुत किया जाये।

10–सफाई कर्मचारी कल्याण निधिः– गत विगत वर्षो की समपरीक्षा आख्यानुसार इस निधि अर्न्तगत रू0 35=00 डाकघर बिलग्राम के खाता सं0– अज्ञात में पूर्ण वर्षो का जमा था, उपरोक्त की पुष्टि हेतु अभिलेखो को गत एवं विगत वर्षो की भॉति वर्तमान सम्परीक्षा में भी प्रस्तुत नही किया गया है। यह गम्भीर आपत्तिजनक था। इस निधि से सम्बन्धित समस्त अभिलेख जॉच हेतु आगामी सम्परीक्षा अवसर पर प्रस्तुत किया जाये।

11– विविध मॉग समाहरण तथा बकाया की स्थितिः– संस्था द्वारा गृहकर जलकर जलमूल्य तथा ठेका जात की मूांग समाहरण पंजियॉ विगत कई वर्षो से अनुरक्षित

नही की गयी थी। यह गम्भीर आपत्तिजनक था। प्रत्येक सम्परीक्षा अवसर पर उपरोक्त के समबन्ध में निरन्तर आपत्ति किये जाने पर भी न0पा0प0 द्वारा मॉग समाहरण पजियो का अनुरक्षण न किया जाना इस बात को पकट करता है कि संस्था अपने निजी स्त्रोतो से आय प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में अत्यधिक उदासीन है।

यह स्थिति अत्यन्त आपत्ति जनक थी तथा इससे वित्तीय अनियमितताओं की सम्भावनाओं को बल मिलता है। समस्त मॉग समाहरण पंजियॉ अद्यावधिक तैयार करवाकर आगामी सम्परीक्षा अवसर पर प्रस्तुत किया जाये।

पालिका द्वारा तैयार मासिक बाहय गणना आधारित मॉग वसूली तथा अवशेष की स्थिति संलग्न परिशिष्ट –छ'' में दी गयी है।

<u>टिप्पणीः–</u> (1) संलग्न विवरणानुसार आलोच्य वर्ष में गृहकर जलकर व जलमूल्य की कुल मॉग के विरूद्ध वसूली कमश 5.71 प्रतिशत, 5.72 प्रतिशत, तथा 7.28 प्रतिशत रही। वसूली अतिन्यून है। समस्त बकाया राशि की शत् प्रतिशत वसूली हेतु साथक प्रयास किये जाये।

(2) दुकान किराया मॉग समाहरण पंजी निर्धारित प्रारूप पर अनुरक्षित नही की गयी थी तथा इसमें योगादि भी नही किये गये थे। किराया पंजी पर बनाया गया वार्षिक गोशवार त्रुटिपूर्ण बना है, इसे शुद्ध किया जाये।

(3) संस्था द्वारा विभिन्न मदो में आवटित ठेको के सम्बन्ध में मॉग समाहरण पंजिका का अनुरक्षण नही किया गया था, जिससे गत एवं विगत वर्षो की बकाया ठेका राशि तथा बकायादारो की स्थिति अज्ञात रही। मॉग समाहरण पंजी का नियमानुसार अनुरक्षण कराकर बकाया राशियॉ की प्रविष्टि करायी जाय।

(4) मॉग समाहरण पंजी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नही थी। यह आपत्ति जनक था। इसे सत्यापनोपरान्त जॉच हेतु आगमी सम्परीक्षा अवसर पर प्रस्तुत किया जाये।

(5) पालिका द्वारा प्रस्तुत विवरणानुसार गत वर्ष 2014–15 में जलमूल्य की वर्तमान मॉग रू0 159,175=00 दर्शायी गयी तथा आलोच्य वर्ष 201–16 में वर्तमान मूांग रू0 1,62,175=00 दर्शायी गयी थी अर्थात वर्तमान मॉग में गत वर्ष की तुलना में मात्र 3000 रू0 की वृद्धि दर्शायी गयी थी। जबकि पालिका द्वारा 01–4–15 से जलमूल्य की दरो में वृद्धि करते हुए इसे 6=50 प्रतिमाह/प्रति कनेक्शन से रू0 30=00 प्रतिमाह प्रति कनेक्शन कर दिया गया था, अर्थात दरो में लगभग 361 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी गयी थी। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालिका द्वारा प्रस्तुत विवरण पूर्णतः फर्जी तथा भ्रामक है। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय।

<u>12– अन्य विविध अनियमितताए/सूचनाये:–</u> निम्नलिखित है।

(क) आयकर जमा हेतु काटे गये चेक सं0–378327 दिनॉक 24–9–15 रू0 55,031 के दो बार जमा दर्शाये जाने के सम्बन्ध में:– पार्श्वांकित चेक आयकर जमा हेतु दिनॉक 24–9–15 को काटा गया था। जिसे ट्रेजरी चालान सं0–0001 दिनॉक 19 दिसम्बर 15 द्वारा कोषागार में जमा कर दिया गया था। पुनः उक्त चेक सं0–378327 रू0 55,031=00 के चालान सं0–22 दिनॉक 18–6–16 द्वारा कोषागार में जमा दर्शाया गया था। एक ही चेक दो बार कोषागार में जमा किये जाने सम्बन्धी भ्रामक स्थिति के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाये तथा यह भी कि उक्त चेक दिनॉक 24–6–17 को जमा किया गया था अर्थात 9 माह पश्चात् चेक जमा किये

जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जबकि जारी चेक 3 मा तक ही वैध रहता है।

(2) सम्परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत आयकर व्यापार कर रायल्टी सम्बन्धी अधिकांश चालानो की अपठनीय छायाप्रतियॉ प्रस्तुत की गयी। यह आपत्तिजनक था। छायाप्रतियों के अपठनीय होने के कारण जमा राशियों का शतप्रतिशत सत्यापन किया जा सकना सम्भव नही है। आयकर/व्यापार कर तथा रायल्टी की जमा की पुष्टि कोषागार से करायी जाये।

(2ब) वा0स0–53/21–8–15 द्वारा 13175=00 का बिनाबिल के भुगतान आपत्तिजनकः– पार्श्वांकित व्यय प्रमाणक द्वारा रू0 13175=00 का भुगतान मंशाराम सदर बाबजार बिलग्राम को 2 जून 15 से 23 जुलाई 15 के मध्य उपलब्ध कराये मिश्ठान आद के लिए किया जाना दर्शाया गया था। उपरोक्त भुगतान हेतु दैनिक बिल प्रस्तुत नही किये गये थे। यह आपत्तिजनक था। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाये।

(ग) मूल रसीद प्राप्त किये बिना ठेकेदार को रू0 6000=00 अर्नेस्ट मनी वापस किया जाना आपतिजनक /दोहरे भुगतान की सम्भावनाः– व्यय प्रमाणक सं0–52 दिनॉक 21–8–15 द्वारा रू0 6000=00 का भुगतान श्री नईम सिद्दीक ठेकेदार को उनके द्वारा दिनॉक 10–7–13 को जमा की गयी 2 प्रतिशत अर्नेस्टमनी की वापसी स्वरूप किया गया था। व्यय प्रमाणक पर लिपिक की आख्यानुसार उक्त धनराशि रसीद सं0–85/86 दिनॉक 10–7–13 द्वारा इण्डिया मार्का–।। हैण्डपम्प के ठेके हेतु जमा की गयी थी। अर्नेस्टमनी की वापसी के समय ठेकेदार से मूल रसीद प्राप्त नही की गयी। यह अनियमित एवं आपतिजनक है। मूल रसीद प्राप्त न किये जाने

से इसके पूर्व तथा भविष्य में भी भुगतान की सम्भावना से इनकार नही किया जा सकता। मूल रसीद प्राप्त कर सम्परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत की जाय।

(2) जुलाई 13 में जमा की गयी अर्नेस्टमनी की वापसी 2 वर्षो से भी अधिक समय पश्चात् अगस्त 15 से किये जाने के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट किया जाय।

<u>(घ) वा0सं0–9 दिनॉक 06–8–15 द्वारा अंकन रू0 8277=00 का संदिग्ध भुगतानः–</u>

पार्श्वांकित व्यय प्रमाणक द्वारा रू0 8277=00 का भुगतान मैं0 सुदामा प्रसाद, बिनीत कुमार गुप्ता को उनके बिल सं0–983 अदिनांकित के विरूद्ध लोहे के गेट क्रय हेतु किया गया था। व्यय प्रमाणक की जॉच के समय निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिसमें उक्त भुगतान/ क्रय संदिग्ध प्रतीत होता है।

(1) आपूर्तिकर्ता फर्म को लोहे के गेट की आपूर्ति हेतु कोई आदेश नही दिया गया था। फर्म द्वारा सीधे 137.95 केजी के लोहे गेट का रूद्ध 60=00 की दर से कुल रू0 8277=00 का बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसका भुगतान पालिका द्वारा किया गयाथा, बिना आपूर्ति आदेश के गेट की आपूर्ति किस प्रकार की गयी है।

(2) फर्म के बिल पर आपूर्तित गेट की लम्बाई चौडाई ताकि ऊचांई तथा प्रयुक्त लोहे के गेट आदि का कोई उल्लेख नही था। अतः यह स्थिति भी बिल को सन्देहास्पद बनाती है।

(3) फर्म के बिल पर दिनॉक अंकित नही गयी थी।

(4) गेट क्रय किये जाने की पूर्व स्वीकृति सक्षम स्तर से नही ली गयी थी।

(5) आपूर्ति कर्ता फर्म व्यापार कर कार्यालय में पंजीकृत नही है। अपंजीकृत फर्म से गेट कय किये जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय।

(6) लिपिक की आख्यानुसार उक्त कीत गेट ऊपर कोट नलकूप की बाउण्ड्री वाल में लगाया गया था। उक्त नलकूप पर पूर्व में लगे पुराने गेट का क्या किया गया। स्पष्ट किया जाय।

(7) फर्म द्वारा भुगतान प्राप्त नही किया गया था ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उक्त रू0 8277=00 का भुगतान अत्यन्त फर्जी/सदिग्ध प्रतीत होता है। उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करायी जाय अन्यथा रू0 8277=00 की प्रतिपूर्ति उत्तरदायी से करायी जाय।

(ड0) वा0सं0 12/ 6–8–15 द्वारा रू0 2700=00 का संदिग्ध भुगतान :–

पार्श्वांकित व्यय प्रमाणक द्वारा रू0 2700=00 का भुगतान दिनॉक 17–5–15 से 27–6–15 के मध्य पालिका के गाडियों के पंचर बनाये जाने हेतु दर्शाया गया था। पंचर मिस्त्री द्वारा प्रस्तुत बिल में तथा सम्बन्धित गाडियों के ड्राइवरों द्वारा कही भी यह उल्लेखित नही किया गया था कि किस गाडी सेख्या तके पन्चर हुआ था तथा किस गाडी का पन्चर बनाया गया था अर्थात बिल में तथा भुगतान हेतु प्रस्तुत आख्या में गाडी संख्या आदि का उल्लेख नही था।

(2) पन्चर मिस्त्री को भुगतान नकद किया गया दर्शाया गया था जिसे प्राप्त नही कराया गया था। अतः उपरोक्त भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है।

(च) श्रीमती मीनू सिंह अधि0 अधि0 को भविष्य निधि कटौती का नकद भुगतान किया जाना आपत्तिजनक :– वेतन बिल जुलाई 2015 देय अगस्त 2015 की जॉच

के समय प्रकाश में आया कि श्रीमती मीनू सिंह अधि0 अधि0 के वेतन से रू0 4000=00 भविष्य निधि हेतु कटौती दर्शायी गयी थी, तथा कटौती उपरान्त रू0 21,166=00 का नकद वेतन ॊुगतान किया जाना था।

बिल में भविष्य निधि कटौती दर्शाये जाने के बाद भी सम्पूर्ण धनराशि रू0 25,166=00 का भुगतान चेक सं0– 525748 दिनॉक 6–8–15 द्वारा कर दिया गया। यह आपत्तिजनक था। इसं सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाये। श्रीमती सिंह के जी0पी0एफ0 पासबुक जॉच हेतु प्रस्तुत की जाय तथा जी0पी0एफ0 कटौती का नकद भुगतान किये जाने का कारण स्पष्ट किया जाय।

<u>(छ) उपस्थिति सत्यापन के बिना ही समस्त स0क0 को सम्पूर्ण माह का वेतन भुगतान किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक :–</u> वेतन बिल जुलाई देय अगस्त 2015 की जॉच के समय प्रकाश में आया कि न0पा0प0 में 14 नियमित सफाई कर्मचारी तथा 29 संविदा सफाई कर्मचारी कुल 43 सफाई कर्मचारी कार्यरत थे।

उपरोक्त समस्त 43 सफाई कर्मचारियों को सम्पूर्ण माह का वेतन रू0 7,53,226=00 भुगतान किया गया था। सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति का सत्यापन सफाई निरीक्षक अथवा सफाई नायको द्वारा नही किया गया था। उपस्थिति सत्यापन के बिना ही समस्त सफाई कर्मचारियों का सम्पूर्ण माह का वेतन भुगतान किया जाना गम्भीर आपतितजनक है यह फर्जी भुगतान का प्रकरण हो सकता है सभी मूल अभिलेख प्रस्तुत किया जाये।

समस्त सफाई कर्मचारियों द्वारा सम्पूर्ण माह में कोई अवकाश न लिया जाना अथवा किसी भी सफाई कर्मचारी का अनुपस्थिति न रहना सन्देहास्पद प्रतीत होता है। सफाई कर्मचारियों की वार्डवार दैनिक उपस्थित पत्रक सम्परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाय। उक्त अभिलेखन दिखाये जाने से स्पष्ट है कि अध्या एवं

अधिशासी अधिकारी एव सम्बन्धित कर्मचारी की मिलीभगत से फर्जी भुगतान किया गया हो इसकी प्रशासनिक स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

(ज) अपंजीकृत फर्म से सामग्री की आपूर्ति लिया जाना आपत्तिजनक तथा रू0 5,000=00 का अधिक भुगतान :– पाइप लाइन की लीकेज की मरम्मत हेतु जलकल सामग्री की आपूर्ति हेतु कोटेशन प्राप्त किये गये थे परन्तु समस्त कोटेशन उन फार्मो से प्राप्त किये गये थे, जिनका पंजीकरण वैट कार्यालय में नही था। अपंजीकृत फर्मो से सामग्री क्रय किया जाना गम्भीर आपत्तिजनक था।

विक्रीकर अपवंचन को रोकने के उदेश्य से मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के शा0 सं0–एस0टी0–2–6042/दस–16 (60) –74 दिनॉक 2 जनवरी 1979 तथा वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–9 के शा0सं0–पू0आ0–ई–9–309/दस–2011 दिनॉक 5–9–11 द्वारा स्पष्ट आदेश दिये गये थे कि टैक्स पेयर आइडेन्टीफिकेशन नम्बर (टीन) धारक रजिस्टर्ड व्यापारियों/फर्मो से ही सामग्रियों की आपूर्ति प्राप्त की जाय तथा किसी प्रकार की सप्लाई आदेश निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित सप्लायर से बिक्रीकर क्लियरेन्स सर्टीफिकेट भी प्रापत कर लिया जाय। जॉच के समय प्रकाष में आया कि कोटेशन दाता कोई भी फर्म वैट कार्यालय में पंजीकृत नही थी। पालिका द्वारा अपंजीकृत फर्म में सुदामा प्रसाद विनीत कुमा गुप्ता बिलग्राम से रू0 75,070=00 मुल्य की जलकल सामग्री क्रय किया जाना गम्भीर आपत्तिजनक था।

(2) जॉच के समय यह भी प्रकाश में आया कि आपूर्तिकर्ता फर्म के बिल सं0–997 दिनॉक 30–7–15 रू0 75070 के विरूद्ध सम्पूर्ण भुगतान चेक सं0–381782 दिनॉक द्वारा कर दिया गया बिल से स्त्रोत पर आयकर व व्यापार कर की कटौती नही की गयी, जिससे फर्म को आयकर के रूप में रू0 1997=00 व व्यापार के के रूप में रू0 3,003=00 कुल रू0 5,000=00 का अधिक भुगतान

कर दिया गया यह आपत्तिजनक था। अतः रू0 5000=00 की प्रतिपूर्ति उत्तरदायी से करायी जाये।

(झ) वा0सं0 14/6–8–15 द्वारा 2750=00 का सदिग्ध भुगतान:– पार्श्वांकित व्यय प्रमाणक द्वारा रू0 2750=00 का भुगतान महेन्द्र प्लम्बर वर्क्स बिलग्राम को 12.5 सुलभ वाल्व बदलने के कार्य हेतु दर्शाया गया था। व्यय प्रमाणक की जॉच से प्रकाश में आया कि ––––

उपरोक्त अभिलेखो के प्रस्तुत न किये जाने के कारण इनकी सम्यक जॉच नही हो सकी। यह गम्भीर आपत्तिजनक है। उपरोक्त समस्त अभिलेख अब आगामी सम्परीक्षा अवसर पर जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाय।

(ट) सेवापुस्तिकाए– सम्परीक्षा में जॉच हेतु प्रस्तुत सेवा पुस्तिकाए अद्यावधिक पूर्ण पायी गयी, वेतन वृद्धि सहित समस्त प्रविष्टियॉ नियमानुसार की गयी थी।

अधिष्ठान/सेवापंजी सम्बन्धी यदि कोई आपतित प्रकाश में आयी है तो उसे प्रथक आपत्ति के रूप में अंकित कर दिया गया है।

ह0
(श्याम सिंह)
उपनिदेशक
लखनऊ मण्डल लखनऊ।

दिनॉक– 04–2–17
स्थान– हरदोई।
अनवार अहमद
वरिष्ठ लेखा परीक्षक

निर्माणार्थ प्राधिकृत
NSpl

43

संस्था - नगर पालिका परिषद, बिलग्राम जिला-हरदोई

स०अ०भाग-9 के स्तर - 1 में संदर्भित परिशिष्ट - क

अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण

वर्षावधि	आख्या के अनुच्छेद	पद	योग
2004-05	1(क)(1)(2)(ग)(घ)(1)(च)(1)(छ)(1)(2)(3)(4)(5)(ज)(झ)(1)(2)(ट)(2)(ढ)(3)(ड)(1)(2)(3)(4), 2 टि०(1)(2)(3), 4, 8, 10 टि०(3), 11	—	27
2005-06	1(ख)(घ)(ङ)(च) टि, 2 टि (1)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11), 3 टि०(3)(4), 7	—	17
2006-07	1(क)(1)(2)(3) (ख)(1)(2)(3)(4)(5)(ग)(1)(2)(3)(घ)(2)(3)(ङ)(1)(2)(3)(क)(ख)(ग) (चार)(पांच)(च)(ज)(1)(2)(झ)(1)(2)(3)(4)(ट)(1)(2)(3)(4)(5)	—	33
2007-08	1(क)(ख)(ग)(1)(2)(3)(4)(6)(7)(8)(9)(घ)(ज)(झ)(ज)(ञ)(ड)(ड)(त)(फ), 2 टि (1)(2)(3)(4), 3 टि (1)(2)(3)(4), 4 टि. (1)(2), 5 टि, ~~[illegible]~~ 6, 7, 8, 9, 10, 11 टि (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)	1 से 25	46
2008-09	1(क)(ख)(ग)(घ)(च)(छ)(ज)(झ)(1)(2)(3)(4)(5) टि(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) (चार)(पांच)(ट)(ठ)(ण), 2 टि (1)(2), 4 टि (1)(2)(3)(4), 5 टि (1)(4), 6, 7, 8, 9, 10, 11	1 से 3	37
2009-10	भाग क - (एक)(दो)(तीन)(चार)(पांच)(छः)(ख)(एक)(दो)(तीन)(चार) टि (1)(2)(3)(4)(5)(6)(पांच) टि (1)(2)(3)(4)(छः)(आठ)(नौ)(दस)	—	23
2010-11	भाग-क - क (1)(2)(3)(4)(5)(6) भाग ख - 2 टि०(1)(2)(3), 4, 4 टि०(1)(2)(3), 5, 6, 7, 8, 9, 10 टि (1), 11 टि (1), 12 (क)(ख)(ग)(घ)(ङ)(च)	—	26
2011-12 से 2012-13	भाग क - तीन (क) टि, 3 (ख) टि (1)(2), 3 ग (1)(2), 3 (घ), 3(ङ), 3 (च), 3 (छ) (1)(2), 3 (ज)(1)(2), 4 (क) टि०, 4 (ख), 4 (ग), 6 (क) टि (1)(2)(3)(4), 6 (ख), 6 (ग), 6 (घ), 6 (ङ), 6 (च), 6 (छ) टि०(1)(2)(3)(4)(5)(6) (ज) टि (1)(2) (झ) टि (1)(2), 9 (क)(1)(2) भाग ख - 2 टि०(1)(2)(3), 3, 4 टि०(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8), 5 टि०(1), 6, 7, 8, 9 (1)(2)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)	—	68

44

2015-16

~~2013-14 भाग क – 3 (क), 4 (क)~~

2013-14 भाग क – 3 (क) (1) (2) (3) (4), 4 (क) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10), 4 (ख) (1) (2) (3), 4 (ग) (1) (2) (3), 4 (घ), 4 (ङ), 5 (क) टि० (1) (2) (3) (4), 5 (ख) (1) (2), 5 (ग) (1) (2) (3) (4), 5 (घ) (1) (2) (3) (4) (5) (6), 5 (ङ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) टि० (1) (2), 5 (च), 5 (छ), 5 (ज)

भाग ख – 2 टि० (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12), 3 टि० (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14), 4 टि० (1) (2), 6, 7, 8 (1) (2), 9, 10 (1) (2), 11 (क) (1) (2), 11 (ख), 11 (ग), 11 (घ) टि० (1) (2) (3), 11 (ङ), 11 (च) टि० (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7), 11 (छ), 11 (ज), 11 (झ), 11 (ञ) (1) (2), 11 (ट), 11 (ठ) (1) (2), 11 (ड) (क) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7), (ख),

2014-15 भाग क – एक (अ) (ब) (स) (द) (य) तीन (अ) (ब) (स) (द) (य) (र) (1) (2), (ध) (1) (2) (3) (4) (ज) (झ), चार (अ) (ब) (स) (द) (य) (र) पाँच (अ) (ब) (स) (द) (य) (व) (1) (2) (3) (ल) (1) (2) (3) (4) (5) (6), (र) (ध) (1) (2) (3) (4) (5), (ज) (झ) (अ) (ज) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

भाग-ख 2, 3 टि० (1) (2) (3) (4) (5), 4 टि० (1) (2) (3) (4) (5), 5 टि०, 6, 7, 8, 9, 10 टि०, 11, 12 टि० (1) (2) (3) (4) (5) (6), 13

पा०सं०02 "ख"
सं०शा०आ०आ० के के अनु0 2 मे सन्दर्भित

संस्था- नगर पालिका परिषद, बिलग्राम, जिला- हरदोई
अवधि - वर्ष-2015-16

वित्तीय स्थिति

1 अप्रैल 2015 को प्रा० शेष	78,47,511=
वर्ष की आय	8,67,23,473=
योग	9,45,70,984=
वर्ष में व्यय	7,93,37,254=
31 मार्च 16 को प्रतिशेष	1,52,33,730=
रोकड़-बही के अनुसार शेष	1,52,33,729=
जोड़िये = Uncashed Cheque की राशि	1,35,74,857=
31 मार्च 16 को बैंक शेष	2,88,08,586= (क)

बैंक प्रतिशेष का विवरण :—

(1) SBI-शाखा- बिलग्राम [रा०वि०आ०]
खाता सं०- CA 11125655105 — 46,85,762=

(2) PNB-शाखा- सदर बाजार [13वाँ वित्त]
खाता सं०- 20030001007149 87 — 1,03,85,293=

(3) SBI-शाखा - बिलग्राम [नगरीय सड़क सुधार]
खाता सं०- CA 34663635242 — 76,72,578=

(4) PNB- शाखा -बिलग्राम [आदर्श नगर योजना]
खाता सं०- 4105000100048384 — 31,63,670=82

(5) PNB- शाखा- बिलग्राम [BRGF]
खाता-सं०- 4105000100059867 — 12,17,279=

(6) PNB- शाखा -बिलग्राम [पालिका निधि]
खाता सं०- 4105002100000139 — 1,54,353=12

(7) आर्यावर्त ग्रामीण बैंक शाखा - बिलग्राम [अवस्थापना]
खाता सं०- 021510100008424 — 7,57,258=

(8) कोषागार [स्टेटमेन्ट अप्रस्तुत] — 2,20,711=

(9) SBI- शाखा- बिलग्राम [नयासवेरा]
खाता सं०- 33189779697 — 5,51,682=

(10) SBI- शाखा- बिलग्राम [नगरीय जल निकासी]
खाता सं०- 33189855139 — 48,316=

28856902=94 (ख)

- 709 - 47

परिशिष्ट "छ"
स०आ० भाग-2 के अनु० 3(7)
मे संदर्भित

प्रपत्र संख्या स्था० नि० ले० 105

वर्ष 2015-16 में

नगरपालिका/जिला परिषद्/अधिसूचित क्षेत्र समिति/नगर क्षेत्र समिति नगर पालिका परिषद - बिलासपुर (सम्पूर्ण रुपयों में) जिला - हरदोई द्वारा प्राप्त अनुदानों तथा ऋणों का विवरण

क्रमांक	अंश का शीर्षक	वर्ष का वास्तविक	क्रमांक 1 के समक्ष स्तम्भ 3 में प्रदर्शित अनुदानों का संहत स्थिति		मन्तव्य
			कुल आवर्तक अनुदान	कुल अनावर्तक अनुदान	
1	2	3	4		5
1	शासन से प्राप्त अनुदान के प्रयोजन :—				
	(क) शिक्षा ① राज्य वित्त आयोग से प्राप्त	4,54,65,750	4,54,65,750	—	
	(ख) चिकित्सा ② 13वाँ वित्त आयोग से प्राप्त	45,19,233	—	45,19,233	
	(ग) जन-स्वास्थ्य ③ आदर्श नगर योजना से प्राप्त	1,53,00,000	—	1,53,00,000	
	(घ) सड़क ④ नगरीय सड़क सुधार योजना से प्राप्त				
	(ङ) अन्य निर्दिष्ट प्रयोजन	142,96,000	—	1,42,96,000	
	(च) सामान्य प्रयोजन ⑤ 14वाँ वित्त आयोग से प्राप्त	41,44,890	—	41,44,890	
	(छ नगरपालिका/जिला परिषद्/अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत लगाये गये अर्थ-दण्ड के बदले				
	(ज) नगरपालिका/जिला परिषद्/अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा प्रशासित नौका घाटों से प्राप्त आय के समतुल्य				
	(झ) अन्य प्रयोजन				
	(ञ) जिला परिषदों के सम्बन्ध में स्थानीय उप-शुल्कों के समतुल्य				
	(ट)				
2	शासन से प्राप्त ऋण				
3	खुले बाजार से लिये गये ऋण				
	योग	837,25,873	4,54,65,750	3,82,60,123	

वरिष्ठ लेखा परीक्षक

५०८   सू०अधि० अधि-(के) अनु० 3(6) में प्रदर्शित "पारा ख"

निकाय- नगर पालिका परिषद, बिलग्राम, जिला हरदोई

अवधि - 2015-16

नगरीय सड़क सुधार योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान से कराये गये कार्यों का भुगतान विवरण -

क्र०	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	धनराशि
I. 1.	कन्नौज बाईपास से रफैय्यतगंज में विवेक के मकान तक रबड़ मोल्ड ब्लाक से फुटपाथ का निर्माण कार्य	श्री दिलीप कुमार गुप्ता	7,23,339=00
2.	उपरोक्त कार्य का आयकर		22,817=00
3.	उपरोक्त कार्य का व्यापार कर		34,311=00
4.	उपरोक्त कार्य का श्रमसेस		8,577=00
5.	उपरोक्त कार्य की रायल्टी		117=00
			7,89,161=00
II. 1.	कासूपेट में सुभाष पार्क में बदले मियाँ के कुआँ तक सड़क निर्माण सुधार कार्य। I[st] Raning Bill	श्री दिलीप कुमार गुप्ता	17,99,654=00
2.	—— उपरोक्त —— II[nd] Raning Bill.		1,92,818=00
3.	उपरोक्त दोनो बिलो का आयकर		62,865=00
4.	उपरोक्त कार्य के दोनों बिलो का व्यापार कर		94,535=00
5.	उपरोक्त कार्य के दोनों कार्यों की श्रमसेस		23,633=00
6.	उपरोक्त दोनो कार्यों का के बिलों की ~~[illegible]~~ रायल्टी		810=00
			21,74,315=00

क्र०	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	धनराशि
III.	1. मो० सुल्ढाडा में श्री मुरारी के मकान से हाकन के मकान तक रबड मोल्डेड सी०सी० ब्लाक से रोड व नाली निर्माण।	श्री दिलीप कुमार गुप्ता	7,38,047=00
	2. उपरोक्त कार्य का आयकर		23,291=00
	3. उपरोक्त कार्य का व्यापार कर		35,024=00
	4. उपरोक्त कार्य का श्रम सेस		8,756=00
	5. उपरोक्त कार्य की रायल्टी		435=00
			8,05,553=00
(IV).	1. बिलग्राम सदर बाजार से पीपर चौराहा गुलाबबाड़ी चुंगी तक रबड मोल्ड सी·सी· ब्लाक से फुटपाथ का निर्माण / सुधार कार्य। II nd Running Bill.	श्री सरोज कुमार तिवारी	10,20,561=00
	2. उपरोक्त कार्य का आयकर		32,187=00
	3. उपरोक्त कार्य का व्यापार कर		48,402=00
	4. उपरोक्त कार्य का श्रम सेस		12,101=00
			11,13,251=00
	1. बिलग्राम सदर बाजार से पीपर चौराहा गुलाबबाड़ी चुंगी तक रबड मोल्ड सी·सी० ब्लाक से फुटपाथ का निर्माण / सुधार कार्य। III rd Running Bill.	श्री सरोज कुमार तिवारी	14,32,732=00
	2. उपरोक्त कार्य का आयकर		45,246=00
	3. उपरोक्त कार्य का व्यापारकर		68,039=00
	4. उपरोक्त कार्य का श्रम सेस		17,010=00
	5. उपरोक्त कार्य की रायल्टी		1,879=00
			15,64,906=00

1. सदर बाजार पीपल चौराहा से पावर हाउस प्रजापति मार्केट तक रबड मोल्ड सी॰सी॰ब्लाक से फुटपाथ के निर्माण का कार्य	श्री दिलीप कुमार गुप्ता	1623,520=00
2. उपरोक्त कार्य का आयकर		51,223=00
3. उपरोक्त कार्य का व्यापार कर		77,028=00
4. उपरोक्त कार्य का श्रम सेस		19,257=00
5. उपरोक्त कार्य की रायल्टी		623=00
		17,71,651=00
1. बिलग्राम मुख्य चौराहा से सरकारी हास्पिटल तक सड़क के दोनों ओर रबड मोल्ड सी॰सी॰ब्लाक से फुटपाथ का निर्माण/सुधार कार्य। IInd Running Bill.	श्रीमती मालती सिंह	11,93,624=00
2. उपरोक्त कार्य का आयकर		
3. उपरोक्त कार्य का व्यापार कर		37,646=00
4. उपरोक्त कार्य का श्रम सेस		56,610=00
5. उपरोक्त कार्य की रायल्टी		14,153=00 शून्य
		~~13,04,033=00~~
		13,02,033=00

-52

परिशिष्ट 2 "ख"
स0क्रा0 आग्रान्त के क्र0सं0 3(6) से सम्बन्धित

न0पा0प0 बिलग्राम
अवधि- 2015-16

आदर्श नगर योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान से ~~किये~~ (कराये) गये कार्यों भुगतान का विवरण—

क्र0	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	धनराशि	चेक नं0/तिथि
1.	24 एल0ई0डी0 लाइटो के अधिष्ठापन का कार्य बस स्टाप चौराहा से कानपुर रोड तक।	मेलक्मी इले0 हरदोई	7,40,387=	200977 / 21-9-15
2.	मोहल्ला कासुपेट मे बाजपेई के मकान से ऊपर कोट होते हुए शीतला मन्दिर तक 70 एल0ई0डी0 लाइटो के अधिष्ठापन का भुगतान	—तदैव—	24,87,347=	"
3.	बस स्टाप चौराहे से तहसील तक 19 एल0ई0डी0 लाइटों के अधिष्ठापन हेतु कार्य	—तदैव—	5,79,509=	"
4.	बस स्टाप चौराहे से सण्डी रोड स्वागत ढाबा तक 22 एल0ई0डी0 लाइटो के अधिष्ठापन का कार्य	—तदैव—	7,55,676=	"
5.	पीपल चौराहे से रफैय्यतगंज बाईपास मार्ग से शिवाला मन्दिर तक 52 एल0ई0डी0 लाइटो के अधिष्ठापन का कार्य	—तदैव—	19,42,205=	"
	योग		65,05,124=	

6.	उपरोक्त कार्य सं० 1 का आयकर	— —	21,100=00
7.	उपरोक्त कार्य सं० 2 का आयकर	— —	70,884=00
8.	उपरोक्त कार्य सं० 3 का आयकर	— —	16,515=00
9.	उपरोक्त कार्य सं० 4 का आयकर	— —	21,535=00
10.	उपरोक्त कार्य सं० 5 का आयकर	— —	55,349=00

200978 / 21-9-15

योग - 1,85,383=

11 -	उपरोक्त कार्य सं० 1 का व्यापारकर	—	31,729=
12.	उपरोक्त कार्य सं० 2 का व्यापारकर	—	1,06,593=
13.	उपरोक्त कार्य सं० 3 का व्यापारकर	—	24,834=
14.	उपरोक्त कार्य सं० 4 का व्यापारकर	—	32,384=
15.	उपरोक्त कार्य सं० 5 का व्यापारकर	—	83,231=

योग - 2,78,771

16.	मो० रफैय्यतगंज में शिवाला मन्दिर से मुख्य मार्ग तक कच्चा रास्ता निर्माण तथा कच्चा रास्ते से ठाकुर द्वार तिराहे तक सड़क सुधार	श्रीमती मालती सिंह	17,40,778=
		योग	17,40,778=
17.	मो० कटरावार्ड सं० 13 मे हरि प्रसाद की चक्की से जरौली नेवादा तक सड़क चौडीकरण तथा सौन्दर्यीकरण कार्य	श्री दिलीप कुमार गुप्ता	11,88,989=

200980 / 24-9-15

378321 / 24-9-15

18- मो० रफीपतगंज में नूर हसन के मुर्गीफार्म से कानपुर बाईपास पुलिया PWD निकट पेट्रोल पंप तक डामर रोड़ निर्माण	श्री दिलीप कुमार गुप्ता	13,84,537=	378321 / 24-9-15
	योग	25,53,526	
19. उपरोक्त कार्य सं० 16 का आयकर	श्रीमती मालती सिंह	54,902=	378322 / 24-9-15
20- उपरोक्त कार्य सं०- 17 का आयकर	श्री दिलीप कुमार गुप्ता	37,500=	
21- उपरोक्त कार्य सं०- 18 का आयकर	—	43,036=	
	योग -	135,438=	
22. उपरोक्त कार्य सं० -16 का व्यापार कर	श्रीमती मालती सिंह	82,560=	378323 / 24-9-15
23 उपरोक्त कार्य सं०-17 का व्यापार कर	श्री दिलीप कुमार गुप्ता	56,390=	
24 उपरोक्त कार्य सं०-18 का व्यापार कर	—	64,716=	
	योग -	203,666=	
25. उपरोक्त कार्य सं० 16 का सेल्स कर	श्रीमती मालती सिंह	20,640=	378324 / 24-9-15
26. उपरोक्त कार्य सं० 17 का सेल्स कर	श्री दिलीप कुमार गुप्ता	14,098=	
27. उपरोक्त कार्य सं०-18 का सेल्स कर	—	16,179=	
	योग -	50,917=	

संस्था - नगर पालिका परिषद, बिलग्राम, जिला- हरदोई

अवधि - 2015-16

तेरहवाँ वित्त आयोग अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से कराये गये कार्यों के भुगतान का विवरण :-

क्र०	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	चेक सं०/तिथि	धनराशि
I. (1)	मो० रफैय्यतगंज में मुन्ना के खेत से रफैय्यतगंज डामर रोड पुलिया तक नाला निर्माण	श्री सरोज कुमार तिवारी	392384/1-8-15	5,39,081 =
(2)	उपरोक्त कार्य का आयकर		392385/1-8-15	15,545 =
(3)	उपरोक्त कार्य का व्यापार कर		392386/1-8-15	23 376 =
(4)	उपरोक्त कार्य की रायल्टी		392386/1-8-15	551 =
(5)	उपरोक्त कार्य की श्रम सेस		392387/1-8-15	5,844 =
				5,84,397 =
II (1)	मो० रफैयतगंज में मुशी खाँ के बाग से रसूला मार्ग तक नाला निर्माण एवं 3 मी० Rcc पुलिया निर्माण कार्य	श्री दिलीप कुमार गुप्ता	392400/31-3-2016	20,85,139 =
(2)	उपरोक्त कार्य का आयकर			65,804 =
(3)	उपरोक्त कार्य का व्यापार कर			98,953 =
(4)	उपरोक्त कार्य का श्रम सेस			24 739 =
				22,74,635 =
III (1)	मो० सुल्हाडा में सुरेश की दुकान से छुट्टीलाल के मकान तक Rcc नाला निर्माण कार्य	श्री मो० अनवार	392388/21-3-2016	9,65,178 =
(2)	उपरोक्त कार्य का आयकर			30,478 =
(3)	उपरोक्त कार्य का व्यापार कर			45,831 =
(4)	उपरोक्त कार्य का श्रम सेस			11,458 =
				10,52,945

कु०पृ०50 - - -

IV	(1) सफाई विभाग में एक अदद ट्रेक्टर कैरियर खरीददारी	राप्ती इंजीनियरिंग हरदोई	392398/31-3-10	5,32,936=
	(2) उपरोक्त कार्य का आयकर			14564=
				5,47,500=

कुल व्यय= 44,59,477=

संस्था – नगर पालिका परिषद, बिलग्राम - जिला - हरदोई

अवधि - 2015-16

14 वाँ वित्त आयोग अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से कराये गये कार्यों के भुगतान का विवरण :—

क्र०	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	चेक सं०/तिथि	धनराशि
I	(1) बिलग्राम मुख्य मार्ग से PNB तक डिवाइडर निर्माण कार्य	श्री मो० अनवार	392388/21-3-16	14,48,599=
	(2) उपरोक्त कार्य का आयकर			45,739=
	(3) उपरोक्त कार्य का व्यापार कर			68,781=
	(4) उपरोक्त कार्य का श्रम सेस			17 195=
				15,80,314=
II	(1) मो० कासूपेट में साण्डी रोड से बदले मियां के कुआँ तक दायीं ओर तिवारी के वर्कशाप तक RCC नाला निर्माण कार्य	श्री दिलीप कुमार गुप्ता	392393/31-3-16	11,46,636=
	(2) उपरोक्त कार्य का आयकर			36,206=
	(3) उपरोक्त कार्य का व्यापार कर			54,444=
	(4) उपरोक्त कार्य का श्रम सेस			13,611=
				12,50,897=
III	(1) सफाई विभाग में 8 अदद कन्टेनर खरीददारी	राष्ट्री इन्जीनियरिंग हरदोई	392399/31-3-16	6,32,320=
	(2) उपरोक्त कार्य का आयकर			17,279=
				6,49,599=

कुल व्यय= 34,80,810=

- 59

परिशिष्ट "पं"
स० शा० आ० 1-८६ के अनु० 3(7) से सम्बद्ध

वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत न०पा०प० बिलग्राम, जिला हरदोई द्वारा प्राप्त अनुदानों की स्थिति

क्रम संख्या	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिसके द्वारा अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गयी धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(1)	शा०सं०-8/7951/92(1) तेरहवाँ वित्त आयोग (सामान्य बुनियादी अनुदान द्वितीय किश्त) दिनांक 1-4-15	13वाँ वित्त आयोग से प्राप्त (सामान्य बुनियादी अनुदान)	20,30,308=	21-4-15	20,07,921= में रु० 7,66,182= ब्याज का सम्मिलित है	89,81,264= में रु० 3,17,141= ब्याज का सम्मिलित है	1,09,89,185=	79,40,287=	30,48,898=	अनुदान पंजी न बनाये जाने के कारण अप्रयुक्त अनुदानों की स्थिति का संकलन वा गणना के आधार पर संकलित किया गया है
(2)	शा०सं०-8/2401/92(1) 13वाँ वित्त आयोग 2014-15/15-16 दिनांक 30-4-15	तदैव	13,78,758=	19-5-15						
3	शा०सं०-8/2400/92(1) 13वाँ वित्त आयोग 2014-15, 2015-16 दिनांक 30-4-15	तदैव	11,10,167=	20-5-15						
	14वाँ वित्त									
4	शा०सं०-8/8780/174/14वाँ सी०एल०सी०/2015-16 दिनांक 4-12-15	14 वाँ वित्त से प्राप्त सामान्य बुनियादी अनुदान	4,14,4890=	11-9-15						

पत्रांक संख्या ———— दिनांक ———— के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। ———— विभाग को प्रेषित।
सं०————
दिनांक————

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश।

मु० पु० (आर०) पी०—9 स्था० नि० ले०—3-8-'99—1,00,000 (जाब)।

परिशिष्ट "च"

60-

वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत न०पं०प० बिलग्राम जिला-हरदोई द्वारा प्राप्त अनुदानों की स्थिति

क्रम संख्या	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिसके अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5-	शा०सं०-5174/नौ-5-2014-122 बजट/2014 दिनांक 12/11/14	नगरीय सड़क सुधार योजना	142,96,000=	16-2-15	12,88,618=	शून्य	12,88,618=	12,88,618=	शून्य	
6-	शा०सं०-163/2015/3092/नौ-5-2015-153 बजट/2015 दिनांक 28 मई 15	नगरीय सड़क सुधार योजना	142,96,000=	4-8-15	शून्य	142,96,000=	142,96,000=	126,66,375=	16,29,625=	

राजाज्ञा संख्या——— दिनांक——— के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। ——— विभाग को प्रेषित

सं०———

दिनांक———

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०—9 स्था० नि० ले०—3-8-'99—1,00,000 (जाब)।

परिशिष्ट "ख"-"ग"
सं0 शा0 आदेश के अनु0 3(7) में उ0 प्रविष्टि

स्था0 नि0 छे0—66

वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत न0पा0प0 बिल्हौर, जिला-कानपुर नगर द्वारा प्रयुक्त अनुदानों की तालिका

क्रमांक	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7-	शा0सं0-175/2015/602/आ0 न0वि0/9-8-15-11/आ0 न0वि0 (आ02) 2014 दिनांक 31-3-15	आदर्श नगर योजना	1,53,00,000/-	2/15	11,56,136/- ↑ उपरोक्त मे रु0 4,62,614/- अर्जित ब्याज की धनराशि सम्मिलित है	1,53,00,000/- + 4,30,140/- (ब्याज)	1,68,86,276/-	1,37,22,606/-	31,63,670/-	31/3/16 को कुल अवशेष धनराशि रु0 31,63,670/- मे से रु0 8,92,751 अर्जित ब्याज की धनराशि तथा शेष रु0 22,70,916/- अनुदान का है। अनुदान पंजी तैयार न होने के कारण उपरोक्त लिखित कैशबुक के आधार पर [illegible]

राजाज्ञा संख्या———— दिनांक———— के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,———— विभाग को प्रेषित ।

सं0————

दिनांक————

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश ।

पी0 एस0 यू0 पी0—7 स्था0 नि0 छे0—19-4-95—50,000 (जॉब) ।

- 62 -

परिशिष्ट "च"
[illegible] के [illegible]
स्था० नि० ले०—

वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत न०पं० [illegible] जिला [illegible] द्वारा अनुदान/ऋणों की तालिका

क्रम-संख्या	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-	नगरीय जल निकासी योजना [illegible] 13 [illegible]	नगरीय जल निकासी	24,77,000=	6/13	45816= (ब्याज)	शून्य + 2500= ब्याज 2500=	48316=	शून्य	48316=	

राजाज्ञा संख्या——— दिनांक——— के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, ——— विभाग को प्रेषित।

सं० ———

दिनांक ———

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०—7 स्था० नि० ले०—19-4-95—50,000 (आब)।

परिशिष्ट 'ब' में स्था० लेखा भाग-6 के अनु० 3(7) में सन्दर्भित

स्था० नि० फ०--80

वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत न०पा०प० [illegible] जिला [illegible] द्वारा प्राप्त अनुदानों की तालिका

क्रम-संख्या	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक धनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में व्यय की गई धनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	[illegible] योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में प्राप्त	निर्माण कार्य हेतु	50 लाख	6-8-13	7,77032=	42142= (ब्याज)	819174=	267492=	5,51682=	31/3/16 को कुल अवशेष धनराशि रू० 551682 में से रू० 2683[illegible] अर्जित ब्याज का तथा रू० 283333= अनुदान का अवशेष है। स्थिति बैंक पासबुक के आधार पर [illegible]

राजाज्ञा संख्या ---------- दिनांक ---------- के सन्दर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, ---------- विभाग को प्रेषित।

सं० ----------

दिनांक ----------

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०--7 स्था० नि० फ०--19-4-95--50,000 (जाब)।

परिशिष्ट 02 "छः"

ल० आ०आ०-के के अनु० 11 से सम्बन्धित

—103— —64—

स्था० नि० ले०- - 108

वर्ष 2015-16 में

नगर पालिका परिषद्/~~जिला पंचायत/नगर पंचायत/क्षेत्र पंचायत~~ बिलग्राम, हरदोई द्वारा समाहरण करों एवं राजस्व का विवरण

(अंक पूर्ण रुपये में)

क्रमांक	आय का स्रोत		1 अप्रैल, 200 को बकाया	चालू वर्ष 2005 2006 के लिए मांग	कुल मांग (3+4)	वर्ष में किया गया समाहरण	छूट	समाहरण में हुआ 31 मार्च, 2006 को शेष	समाहरण की कुल मांग से प्रतिशत	स्तम्भ 2 उल्लिखित कर की दर	मन्तव्य
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०		रु०
1	गृहकर	गृहकर	789598	117005	906603	51868	—	854795	5.71%		
2	जलकर	जलकर	1471700	214520	1686220	96535	—	1589685	5.72%		
3	जल का विक्रय	जलमूल्य	792007	162175	954182	69521	—	884661	7.28%		
4	सफाई कर	दुकान किराया	73656.25	93525	167181.25	73277	—	93904.25	43.83%		
5	विभव एवं सम्पत्ति कर	ठेकेजात	—	—	अनुरक्षित नहीं कीगयी	—	—	—			
6	व्यापार, जीविका तथा व्यवसाय पर कर										
7	सवारी गाड़ियों पर कर										
8	यात्री कर										
9	अन्य कर (स्पष्ट उल्लेख करें)										
10	भूमि एवं भवन का किराया										
11	विद्युत् की प्राप्तियां										
12	प्रकीर्ण मांग (उल्लेख करें)										
	योग..										

क्रमांक	आय का स्रोत	कुल प्राप्तियां	वापसी	शुद्ध आय	मन्तव्य
		रु०	रु०	रु०	
1	चुंगी				
2	पथकर				
3	सीमांत कर				
	योग..				

वरिष्ठ सम्परीक्षक/सम्परीक्षक

शिविर हरदोई

पी० एस० यू० पी०--18 स्थानीय निधि लेखा—31-10-2001—1,00,000 प्रतियां (जाव)।

न०पा०प० बिलग्राम द्वारा दुकान किराये की दरों में सामयिक वृद्धि न करने से अधिकतम [illegible] आय

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
क्र०सं०	दुकानों की स्थिति अथवा लोकेशन	मासिक किराया 22	दुकानों की संख्या	कुल वार्षिक किराया	अनुमानित आवंटन तिथि 1-4-04 से 5 वर्ष पर 31/3/09 को 10% वृद्धि उपरान्त निर्धारित वार्षिक किराया	1-4-09 से 31-3-14 तक 5 वर्ष में किराये की कम वसूली	पाँच वर्ष बाद 1/4/14 से पुनः किराये में 10% वृद्धि उपरान्त निर्धारित वार्षिक किराया	1-4-14 से 31-3-16 तक 2 वर्ष में किराये की कम वसूली	कुल आधिक्य (7+9)
1-	आफिस के आगे स्थित दुकाने	218=75	16	42000=	46200=	21000=	50820=	17640=	3864
2-	बी०जी० इण्टर कालेज के सामने	281=25	11	37,125=	40,838=	18565=	44,922=	15,594=	3415
3-	जल निगम के निकट स्थिति	400=	3	14,400=	15840=	7200=	17424=	6048=	1324
								कुल आधिक्यक्षति	8604